-1-

नगर पंचायत बद्दी, जिला सोलन के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 6/99 से 3/2005

अंकेक्षण अवधि में प्रधान एवं सचिव के पद पर निम्न पदाधिकारी तैनात थे:

प्रधान:

नाम	अवधि
श्री मदन लाल चौधरी	18-1-2001 से 17-1-2006

सचिव:

श्री एम.एल. अन्सारी	जनवरी 2000 से 30-4-2001
श्री आर.एल. भारद्वाज	1-5-2001 से 31-1-2003
श्री पुरुषोत्तम चौधरी	19.2-2003 से 8-4-2003.
श्री सुधीर शर्मा	9-4-2003 से 2-9-2003
श्री पी.सी. शर्मा	3-9-2003 से लगातार

गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार :

(i) पैरा 5(क): रु० 40,790 रु० की वसीका पंजीकरण के रूप में कम वसूली की गई।

(ii) पैरा 5(ख): रु० 1,91,860 रु० की वसीका पंजीकरण के रूप में कम वसूली की गई।

(iii) पैरा 5(ग): स्वामी विवेकानन्द एजुकेशनल सोसाइटी से रु० 25,000 रु० की वसीका पंजीकरण के रूप में कम वसूली की गई।

(iv) पैरा 5(घ): गलत गणना के कारण रु० 5,765 रु० की कम वसूली की गई।

(v) पैरा 5(ङ): बर्धमान स्पिनिंग मिल को रु० 41,33,660 रु० का वसीका पंजीकरण में अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

(vi) पैरा 5(च)(iii): भवन निर्माण मैप शुल्क के रूप में रु० 9164 रु० की कम वसूली की गई।

(vii) पैरा 5(ज)(2): पशुवधशाला से प्राप्त राशि रु० 630 रु० जमा नहीं करवाई गई।

(viii) पैरा 5(ट): सिनेमा शुल्क के रूप में रु० 3,95,000 की वसूली नहीं की गई।

(ix) पैरा 5(ड): दिनांक 31-3-2005 को रु० 30,775 रु० दुकानों के किराये के रूप में वसूल किये जाने शेष थे।

(x) पैरा 5(ढ): ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया।

(xi) पैरा 6(क): सफाई व्यवस्था के लिये ठेकेदार को रु० 11,000 रु० का अनुचित भुगतान किया गया।

(xii) पैरा 6 (ड): कुल 58,117 रु० का अनुचित भुगतान

(xiii) पैरा 6 (ञ): धरोहर राशि की वापसी के रूप में कुल 14,886 रु० का अधिक भुगतान

(xiv) पैरा 6 (ट): आइबेज कंटेनर क्रय में कुल 17,820 रु० का अनुचित भुगतान किया गया।

(xv) पैरा 6 (ठ): गलत गणना के कारण ठेकेदार को कुल 978 रु० का अधिक भुगतान

(xvi) पैरा 6 (ण): आयकर विभाग को गलत आकलन के कारण कुल 2,406 रु० का अधिक भुगतान किया गया।

(xvii) पैरा 6 (त): धरोहर राशि की वापसी में ठेकेदार को कुल 1230 रु० का अधिक भुगतान किया गया।

(xviii) पैरा 6 (थ): बिजली के सामान की खरीद में सप्लायर को कुल 7084 रु० का अधिक भुगतान किया गया।

(xix) पैरा 6 (द): अभुगतान औषधालय सम्बन्ध में अनियमितताएं।

(xx) पैरा 6 (ध): विभिन्न प्रयोजनों के लिये कुल 10,073 रु० का अनुचित भुगतान

(xxi) पैरा 7 (क): पैन डोरीया भवन निर्माण कार्य का अनियमितताएं।

(xxii) पैरा 7 (ङ): गलत दरों के कारण कुल 49,130 का ठेकेदारों को अधिक भुगतान

(xxiii) पैरा 7 (ञ): निर्माण सामग्री की दर कम लगाने के कारण कुल 7750 का ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया।

(xxiv) पैरा 7 (ढ): ठेकेदार के बिल से मिट्टी भर की कटौती न करने से रु० 546 रु० का अधिक भुगतान।

(xxv) पैरा 7 (ड): तालाब की मिट्टी भरने के कार्य के लिये रु० 18,623 रु० का अनुचित भुगतान।

(xxvi) पैरा 7 (ण): बाकेई बोल्ट में ब्रिक वर्क कार्य के लिये अधिक मात्रा देखने के कारण ठेकेदार को रु० 2433 रु० का अधिक भुगतान किया गया।

(xxvii) पैरा 7 (त): गलत दर के कारण ठेकेदार को रु० 1972 रु० का अधिक भुगतान किया गया।

(xxviii) पैरा 7 (थ): गलत दर के कारण रु० 16590 का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया।

(xxx) पैरा 7 (न): अधिक दर भुगतान के कारण ठेकेदार को रु० 4772 रु० का अधिक भुगतान किया गया।

(xxxi) पैरा 7 (प): गलत दर के कारण रु० 5868 का ठेकेदार को अधिक भुगतान

(xxxii) पैरा 7 (फ): गलत गणना के कारण ठेकेदार को रु० 647 रु० का अधिक भुगतान किया गया।

(xxxiii) पैरा 7 (ब): ठेकेदार को रु० 16,286 रु० का अधिक भुगतान।

(xxxiv) पैरा 7 (बब): गलत दरों के कारण रु० 9962 का अधिक भुगतान किया गया।

(xxxv) पैरा 7 (स): बनारस बारिसो के रतन-स्थान टावर में रु० 41580 रु० की कम कटौती

(xxxvi) पैरा 7 (ह): गलत गणना के कारण संविदित वेतनमानों की तथा भुगतान को रु० 4,800 के कम अधिक भुगतान

(xxxvii) पैरा 8(क): "की" लैब की अनियमित नियुक्ति के कारण रु० 9000 रु० का अनुचित भुगतान के रूप में रु० 725 रु०

(xxxviii) पैरा 8(ख): मकान भत्ते का अनियमित भुगतान

नगर पंचायत बद्दी, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि॰प्र॰ का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 6/99 से 3/05

1. **प्रारम्भिक**: सोलन जिला के बद्दी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एल.एस.जी.-ए(9)-41/84 दिनांक 7-1-1999 जिसे असाधारण राजपत्र हि॰प्र॰ में दिनांक 24-6-1999 को प्रकाशित किया गया, के अन्तर्गत इस क्षेत्र को नगर पंचायत बद्दी घोषित किया गया। लेकिन अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि नगर पंचायत बद्दी द्वारा दिनांक 5-11-1999 से रोकड़ बही शुरू की गई। इस प्रकार अवधि 11/99 से पूर्व की रोकड़ बही बैंक पास बुकों सहित अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई यद्यपि अंकेक्षण अधियाचना संख्या यू.डी. (ऑडिट)-197/06 दिनांक 17.3.2006 जो सचिव नगर पंचायत को जारी की गई, द्वारा वांछित अभिलेख को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत से नगर पंचायत घोषित करने के उपरान्त ग्राम पंचायत की Assets and Liabilities का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा न ही वित्तीय लेन-देन सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया जिसका पूर्ण ब्यौरा प्राप्त करके प्रस्तुत किया जाये।

इस प्रकार नगर पंचायत बद्दी के लेखों का यह प्रथम अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये हैं, श्री कौल सिंह, सहायक नियन्त्रक (अंकेक्षण) द्वारा दिनांक 2-3-2006 से 1-6-06 तक बद्दी में किया गया। विस्तृत पड़ताल हेतु मास 3/2000, 7/2000, 2/2001, 5/2001, 3/2002, 7/2002, 1/03, 7/03, 3/04, 8/04 तथा 3/05 का चयन किया गया। अनुवर्ती पैरों में दिये गये अभिलेख के अलावा अन्य वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

2. <u>अंकेक्षण शुल्क</u>:

नगर पंचायत बड़ी के अवधि 6/99 से 3/2005 के लेखों अंकेक्षण शुल्क मु० 6330 रु० बना विवरण इस प्रतिवेदन के परिशि 'क' में दिया गया है। इस राशि को सरकारी कोष में 0070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें 60- सेवायें 110 सरकारी लेखा परीक्षा लिये शुल्क (यू.एल.बी)" के अन्त जमा करवाने तथा मूल को चलान को निदेशक, शहरी वि हि० प्र० शिमला - 2 को आवश्यक सत्यापन तथा वापसी हेतु अधि अधियाचना संख्या यू.डी. (ऑडिट 06 दिनांक 3-6-2006 द्वारा स नगर पंचायत से आग्रह कि गया।

3. <u>वित्तीय स्थिति</u>: नगर पंचायत काढ़ी के लेखों की अंकेक्षण अवधि में विभिन्न चार रोकड़ बहियाँ तैयार की गई जिनकी वित्तीय स्थिति का रोकड़ बही वार विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) <u>सामान्य रोकड़ बही</u>:

	11/99 से 3/2000 रु०	2000-01 रु०	2001-02 रु०
पूर्वशेष	शून्य	68,741	32,52,883
आय	2,03,011	45,18,781	47,49,436
योग	2,03,011	45,87,522	80,02,319
व्यय	1,34,270	13,34,639	57,95,176
अन्तशेष	68,741	32,52,883	22,07,143

	2002-03 रु०	2003-04 रु०	2004-05 रु०
पूर्वशेष	22,07,143	39,25,109	51,07,020
आय	1,22,27,020	1,89,73,048	1,84,06,825
योग	1,44,34,163	2,28,98,157	2,35,13,845
व्यय	1,05,09,054	1,77,91,137	1,03,99,851
अन्तशेष	39,25,109	51,07,020	1,31,13,994

नगर पंचायत काढ़ी की रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31-3-2005 को रु० 1,31,10,989 रु० का अन्तशेष था। इस प्रकार उपरोक्त अवधि तक रोकड़ बही में रु० 3005 की राशि कम की गई तथा बैंक में की कम जमा करवाई गई। अन्तर राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

(1) दिनांक 11-10-2001 को रु० 1452 रु० प्राप्त किये जो कि रोकड़ बही में केवल रु० 1362 रु० ही जमा दर्शाये गये जिससे रु० 90 रु० का अन्तर बना ..(-) 90

(2) दिनांक 22-2-02 को रु० 995 रु० की आय के समर्थन में रु० 1000 रु० रोकड़ बही में आय दर्शा कर जमा करवाये गये ... (+) 5

B.F. (-) 85

(3) दिनांक 20-3-2002 को रू0 1000रू0 की आय के विरुद्ध रू0 2000रू0 रोकड़ बही में दर्शा कर जमा कराये गये जिससे रू0 2000 का अन्तर बना .... (-) 20

(4) दिनांक 31-7-2002 को रोकड़ बही का अन्तशेष रू0 32,65,783 रू0 था जबकि गलती से इसे रू0 32,65,763 रू0 दर्शा कर रू0 20रू0 कम दर्शाये गये ... (-) 20

(5) दिनांक 31-1-2003 को रोकड़ बही का अन्तशेष रू0 254,6,865 रू0 था जबकि इसे रू0 25,466,85 रू0 दर्शा कर रू0 180रू0 कम दर्शाये गये ... (-) 180

(6) दिनांक 1-8-03 को रू0 8020रू0 आय के रूप में प्राप्त हुये जबकि रोकड़ बही में रू0 5330 रू0 दर्शा कर रू0 2700रू0 कम जमा दर्शाये गये ..... (-) 2700

अन्तर योग 3005

इस प्रकार दिनांक 31-3-2005 को रोकड़ बही में रू0 3005 रू0 की राशि कम दर्शाई गई है जिसे अब सही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

Bank Reconciliation:

दिनांक 31-3-2005 को विभिन्न बैंकों की स्थिति:

(i) जोगिन्द्रा को-ऑपरेटिव बैंक लि० खाता संख्या 5939 ---1,07,40,149

(ii) ---"--- खाता संख्या 8319 51,902

(iii) यू. को. बैंक खाता संख्या 1977 23,30,463

योग: 1,31,22,514

दिनांक 31-3-2005 को नगर पंचायत की रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष ... 1,31,10,939

जमा: जारी किये गये चैक जिन्हें दिनांक 31-3-2005 तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया:-

(1) चैक संख्या 739671 मु० 1590
(2) चैक संख्या 739672 मु० 2000
(3) चैक संख्या 739682 मु० 6000
(4) चैक संख्या 739684 मु० 1976
(5) चैक संख्या 739686 मु० 2000
(6) चैक संख्या 739687 मु० 1440
(7) चैक संख्या 739688 मु० 12251 } (+) 27262

घटाओ :

दिनांक 31-3-2005 जोकि आय जिसे दिनांक 31-3-2005 के पश्चात यानि दिनांक 1-4-05 को बैंक में जमा करवाया गया (−) 13,320

समायोजन उपरान्त दिनांक 31-3-05 को रोकड़ बही का शुद्ध अवशेष ... 1,31,24931

अन्तर (1,31,24931 − 131,22514) = 2417

इस प्रकार दिनांक 31-3-2005 को बैंक में कु० 2417 रु० की राशि कम जमा करवाई गई जिसे अब जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे। इसके अलावा उपरोक्त अन्तर राशि मु० 30050 भी बैंक में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

(ख) एस.जे.एस.आर.वाई रोकड़ बही :

दिनांक 9.5-2001 को सामान्य रोकड़ बही से मु० 1,21,563 रु० की राशि की निकासी के बाद एस.जे.एस.आर.वाई की अलग रोकड़ बही तैयार की गई जिसकी वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी:-

	2001-02 रु०	2002-03 रु०	2003-04 रु०	2004-05 रु०
प्रारम्भिक शेष	1,21,563-00	32,857-64	1,25,003-91	1,04,787-87
आय	56,833-64	1,19,471-27	81,614-96	59,153-45
योग	1,78,396-64	1,51,328-91	2,06,618-87	1,63,941-32
व्यय	1,45,539-00	27,325-00	1,01,831-00	—
अन्तशेष	32,857-64	1,25,003-91	1,04,787-87	1,63,941-32

दिनांक 31-3-2005 को बैंक शेष 1,63,941-32
खाता संख्या 55082527136
अन्तर .... शून्य

(ग) E.I.A.S./NSDP रोकड़ बही :

दिनांक 2-5-2001 को सामान्य रोकड़ बही से रु० 7,39,639 रु० की राशि की निकासी पर अलग रोकड़ बही तैयार की गई जिसकी वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी:-

	2001-02 रु०	2002-03 रु०	2003-04 रु०	2004-05 रु०
प्रारम्भिक शेष	7,39,639-00	8,60,034-28	9,47,682-25	12,54,295-54
आय	5,32,491-28	2,35,756-97	3,34,629-29	4,76,040-94
योग	12,72,130-28	10,95,791-25	12,82,311-54	17,30,336-48
व्यय	4,12,096-00	1,48,109-00	28,016-00	6,71,386-00
अन्तशेष	8,60,034-28	9,47,682-25	12,54,295-54	10,58,950-48

दिनांक 31-3-2005 को खाता संख्या 55082527125 के अनुसार अन्तशेष ... 10,58,950-48
अन्तर ... शून्य

(ख) आई.डी.एस.एम.टी. रोकड़ बही : इस लेखे की यह रोकड़ बही वर्ष 2003-04 से तैयार की गई जिसकी वर्ष-वार वित्तीय स्थिति इस प्रकार थी:-

	2003-04 रु०	2004-05 रु०
प्रारम्भिक शेष	—	41,29,703
आय	41,29,703	72,270
योग	41,29,703	42,01,973
व्यय	—	—
अन्तशेष	41,29,703	42,01,973

दिनांक 31.3.2005 को बैंक खाता संख्या 41310001000.34650 के अनुसार अन्तशेष - - - 42,01,973

अन्तर - - शून्य

(ङ) निवेश:

नगर पंचायत बड़ी द्वारा दिनांक 31-3-2005 तक विभिन्न बैंकों में मु0 30,00,000 रु0 की धन राशि का निवेश किया गया जिसका विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" में दिया गया है।

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निवेश के सम्बन्ध में रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिससे मालूम किया जाता कि किस राशि का किस बैंक में कितने ब्याज पर कितनी अवधि के लिये निवेश किया गया क्योंकि अंकेक्षण अवधि तथा अंकेक्षण करने की अवधि के बीच इन निवेशों के परिपक्व होने पर निकासी कर ली गई थी। इस प्रकार प्राप्त ब्याज के सही होने की पुष्टि भी नहीं की जा सकी। अतः आवश्यक सूचनायें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये तथा निवेश रजिस्टर को तैयार करके पूर्ण किया जाये तथा प्रत्येक निवेश का इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान निवेशों से प्राप्त ब्याज की पुष्टि रोकड़ बही में करवाई जाये।

(च) ऋण :

दिनांक 31-3-2005 को नगर पंचायत द्वारा कोई ऋण देय नहीं था जिसका प्रमाण पत्र परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।

(छ) अग्रिम :

सचिव नगर पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो परिशिष्ट "ख" में दिया गया है, के अनुसार दिनांक 31-3-2005 को कोई अग्रिम समायोजन हेतु लम्बित नहीं था।

4. अनुदान:

नगर पंचायत बद्दी द्वारा निदेशक, शहरी विकास, हि०प्र० शिमला-2 से चुंगी समाप्ति के बदले प्राप्त अनुदान। एस.एफ.सी. से प्राप्त अनुदान, दसवें व ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान, ई.आई.यू.एस./एन.एस.डी.पी. के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तथा विविध कार्यों के क्रियान्वन हेतु प्राप्त अनुदान राशियों का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट क्रमशः 'ग', 'घ', 'ङ', 'च' व 'छ' में दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा अनुदानों का रजिस्टर जोकि हि०प्र० पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 26 के अन्तर्गत फॉर्म जी-6 के अनुसार तैयार किया जाना अपेक्षित था, तैयार नहीं किया गया। प्रत्येक स्त्रोत से प्राप्त अनुदान को इस रजिस्टर में दर्ज किया जाना तथा समय-2 पर व्यय का ब्योरा दर्ज किया जाना आवश्यक था लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा यह रजिस्टर शुरू ही नहीं किया गया जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः आवश्यक वांछित अभिलेख शीघ्र तैयार करके पूर्ण किया जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

रोकड़ बही तथा अन्य तर्क-संगत अभिलेख से अनुदान का जो ब्यौरा तैयार किया गया, के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियाँ अपेक्षित है:-

(1) परिशिष्ट "ग" जो कि चुंगी समाप्ति के बदले प्राप्त अनुदान से सम्बंधित है की क्र.संख्या 3 (वर्ष 2000-01) परिशिष्ट 'ड' जो कि ई. आई. यू. एस. | एन. एस. डी. पी के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से सम्बंधित है के क्रम संख्या 14,15,16 (वर्ष 2004-05), परिशिष्ट 'च' जो कि विविध कार्यों से सम्बंधित है, की क्रम संख्या 1 के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशियों के स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में प्राप्त अनुदानों के उद्देश्य तथा अन्य शर्तों की पड़ताल नहीं की जा सकी। अत: वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जावे।

(2) अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, के कार्यों को शीघ्र आरम्भ करके पूर्ण किया जावे तथा समय बढ़ोतरी जहाँ अपेक्षित है सक्षम प्राधिकारी से समय बढ़ोतरी प्राप्त की जावे तथा अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जावे।

5. **आय:**

वसीका पंजीकरण:

हिमाचल नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 65(बी) के अन्तर्गत प्रत्येक नगर पंचायत की सीमा के भीतर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर विचाराधीन राशि पर 2% शुल्क प्राप्त करने का प्रावधान है। उक्त धारा की अनुपालना में नगर पंचायत बद्दी ने इस अधिभार की वसूली अवधि 11/99 से आरम्भ की। अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने पर नीचे दी गई आपत्तियाँ/अनियमिततायें पाई गई जिनके समाधान हेतु उचित कार्यवाही की जाये।

(क) मु० 40,790 रु० की कम वसूली:

नगर पंचायत कार्यालय में तैयार वसीका पंजीकरणों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नीचे दिये गये मामलों में वसूली योग्य शुल्क से कम वसूल करने पर मु० 40,790 रु० की कम वसूली की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अत: आवश्यक कार्यवाही अब की जाये। राशि जिस पर अधिभार की गणना की गई का औचित्य स्पष्टीकरण भी दिया जाये।

नाम व पता (1)	विचाराधीन राशि रु० (2)	वसूली योग्य शुल्क की राशि रु० (3)	राशि जिस पर वसूली की गई रु० (4)	वसूल की गई राशि रु० (5)	रसीद संख्या व तिथि (6)	कम वसूली राशि (7)
श्री खिला राम हरिपुर संडोली, नालागढ़	72,325	1,447	30,000	600	2226/[illegible]	847
श्री देस राज, गुल्लरवाला, नालागढ़	81,500	1630	80,000	1,600	2174/31-3-03	30
मै० एक्कोर्न इण्डस्ट्रियल सर्विसिज, 15/17 ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली	8,47,000	16940	6,07,500	12150	2022/13-10-03	4790
-यथोपरि-	14,63,500	29,270	12,95,000	25,900	2013/13-10-03	3370

Contd...

-21,41,507 रु० का कम

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- अर्थीभार -	10,45,500	20,910	9,25,500	18,500	2024/ 13-10-03	2410
मै० शुभ सौरभम, अहमदाबाद	9,98,000	19,960	4,50,000	9,000	2637/ 10-1-05	10960
श्री मुख्तार सिंह, सुपुत्र श्री नीतू,	92,000	1840	50,000	1,000	1885/ 11-6-03	840
श्री हरि चन्द, नदौन, हमीरपुर	73,000	1460	40,000	800	1888/ 11-6-03	660
श्री अमर चन्द, नदौन हमीरपुर	1,10,000	2,200	60,000	1200	1887/ 11-6-03	1,000
श्रीमति कान्ता देवी धर्मपुर जिला सोलन	92,000	1840	50,000	1,000	1886/ 11-6-03	840
श्री सुनील सूद गाखी, रकड़, जि० कांगड़ा	2,62,500	5250	2,50,000	5000	1893/ 13-6-03	250
मै० एस. एल. इंजिनियर्स प्रीत विहार, नई दिल्ली	18,07,000	36,140	10,92,250	21845	1830/ 9-5-03	14,295
श्री सोम नाथ, धर्मपुर जिला सोलन	1,44,917	2,898	1,20,000	2,400	2441/ 7-7-04	498

कुल योग : 40,790

(ख) रु० 1,91,869 रु० की वसूली :

हि०प्र० नगर पालिका अधिनियम,
1994 की धारा 65(बी) तथा इसके अन्तर्गत
समय-2 पर जारी अनुदेशों के अनुसार
[illegible] सम्पत्ति की विक्रयाधीन राशि (अन्तिम
बिक्री सम्पत्ति मूल्य) के ऊपर 2% अधिभार की वसूली
नगर पंचायत द्वारा की जानी थी जबकि
नीचे दिये गये मामलों में स्टैम्प
वैल्यू पर 2% शुल्क की वसूली नहीं की
गई जिसके परिणाम स्वरूप नगर
पंचायत द्वारा रु० 1,91,869 रु० की कम

वसूली की गई नीजसका दायित्व निर्धारित करके तदानुसार वसूली की जाये तथा कृत कार्यवाही का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाये। इन विशेष मामलों में स्टैम्प वैल्यू पर अधिभार की गणना करना था लेकिन इसे इनमें अवांछित लाभ दिया गया।

क्र.सं.	नाम व पता	विचाराधीन राशि रु०	2% की दर से वसूली योग्य राशि रु०	स्टैम्प वैल्यू राशि रु०	वसूल की गई राशि रु०	रसीद संख्या व तिथि रु०	कम वसूली रु०
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री एम.आर.वर्मा अस्पताल कालोनी नालागढ़	8,37,000	16,740	1,00,440	2008	572/ 13-6-02	14,732
2.	श्री नीरज कुमार नि० नालागढ़, जिला सोलन	1,80,000	3,600	21,600	432	1943/ 14-8-03	3,168
3.	मै० जैमिन फैबरिक लुधियाना	3,65,625	7,313	43,900	878	4/10 14-6-01	6,435
4.	सर्व श्री तिलक राज, वीरबल आदि	6,45,000	12,900	77,400	1,548	2101/ 22-12-03	11,352
5.	श्री ज्ञान चन्द सपुत्र श्री संसार चन्द, मैंरा जमा	87,04,000	1,74,080	10,44,500	20,890	1942/ 13-8-03	1,53,190
6.	श्री तरक्की लाल सपुत्र श्री राम रखा, नालागढ़ जिला सोलन	1,70,000	3,400	20,400	408	2218/ 3-12-03	2992
							1,91,869

(ग) मु० 25,000 रु० की वसूली:

स्वामी विवेकानन्द एजुकेशनल सोसाईटी 438, फेज-2, एस.ए.एस नगर मोहाली के वसीका पंजीकरण में विचाराधीन राशि मु०25,00,000 रु० थी जिस पर 2% की दर से मु० 50,000 रु० अधिभार की वसूली की जानी अपेक्षित थी जब कि यह वसूली 1% की दर से करके मु० 25,000 रु० की कम वसूली की गई। अतः मु० 25,000 रु० की वसूली सम्बन्धित संस्था अथवा दोषी कर्मचारी से करके जमा करवाई जाये।

(घ) कम वसूली:

(1) रु० 2164 रु० की वसूली:

श्री लायक राम सुपुत्र श्री निहाला साकिन गांव करनावली परगना धुन्दन कसौली जिला सोलन के वसीका पंजीकरण मामले में विचाराधीन राशि रु० 5,58,150 पर 2% की दर से रु० 11,164 रु० की वसूली की जानी थी जबकि नगर पंचायत अधिकारी द्वारा रु० 4,50,000 की राशि पर 2% आधार वसूलने के आदेश पारित किये जिसके परिणाम स्वरूप रु० 2164 रु० की कम वसूली की गई जिसे सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल करके जमा करवाया जावे।

(2) रु० 3801 रु० की वसूली:

नीचे दिये गये मामलों में गलत गणना के कारण रु० 3801 रु० की कम वसूली वसीका पंजीकरण में की गई जिसकी वसूली अब उचित स्रोत से करके जमा करवाई जावे।

वसीका संख्या व तिथि	नाम व पता	विचाराधीन राशि रु०	वसूलीयोग्य राशि रु०	वसूल की गई राशि रु०	कम वसूल राशि रु०
255/13-3-02	श्री सुरेन्द्र कुमार सैक्टर-I परवाणू	2,22,800	4456	666	3790
257/20-3-02	श्री अरुण कुमार शर्मा, एच.ए. एस नगर पंजाब	1,34,640	2693	2682	11
				योग	3801

महार्ष्ट्र (वर्धमान) स्पिनिंग मिल को रु0 41,33,660 रु0 का अनुचित लाभ:(

5 (अ)

समीक्षा संख्या 1085 का पंजीकरण दिनांक 15.5.2004 को वर्धमान स्पिनिंग मिल के नाम दर्ज किया गया। पंजीकरण में प्रस्तुत किये गये अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि समीक्षा उद्योग के लिये विचाराधीन राशि रु0 23,48,83,300 थी जिस पर आयुक्त एवं सचिव (यू-पी) हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या एलडब्ल्यूसी-डी (1)-9/94-खण्ड 4 दिनांक 17.4.2002 के अन्तर्गत 2% की दर से पंजीकरण शुल्क रु0 46,97,660 रु0 बनता था परन्तु रसीद संख्या 2319 दिनांक 17-5-2004 द्वारा केवल रु0 5,64,000 रु0 ही वसूल किये गये। रु0 41,33,600 रु0 की कम वसूली फलस्वरूप मिल को अनुचित लाभ पहुँचाया प्रतीत होता है जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

चर्चा में बताया गया कि इस मामले में निदेशालय, शहरी विकास, हि0प्र0 शिमला-2 से प्राप्त ज्ञापन संख्या यू.डी. एच (सी) (9)-3/2000-1017 दिनांक 9.2.2005 के अनुसार वसूली की गई जिसमें पत्र संख्या यू एल बी-एच (9)-25/95-5326-5373 दिनांक 9.4.2001 को संशोधित किया गया था। यह स्पष्टीकरण उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि उक्त पत्र को अप्रैल 2001 में जारी किया गया था तो इस पर तत्काल प्रभाव से अमल न करने हेतु उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत समस्त मामलों की वसूली

की जा रही थी तो केवल इस मामले में ही इसे लागू क्यों किया गया।

क्योंकि नगर पंचायत द्वारा अन्य सभी मामलों में विचाराधीन राशि पर 2% की दर से शुल्क की वसूली की गई थी तथा इसके उपरान्त भी समस्त मामलों पर इसी प्रकार कार्यवाही जारी है तो इस मामले में विपरीत भाव-205 लागू किया जाना न केवल अनुचित ही था अपितु फर्म विशेष को अनुचित लाभ पहुँचाने का भी प्रयास लगता है। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण देते हुये बकाया राशि मु० 41,33,660 रु० को तुरंत वसूल किया जाये।

(च) बसीका पंजीकरण रजिस्टर तैयार करने में नीचे दी गई त्रुटियाँ पाई गई जिन्हें पूर्ण किया जाये:-

(1) Sale deed documents में जी. आर. संख्या तो दर्शाई गई लेकिन राशि अंकित नहीं की गई

(2) खरीददार (purchaser) के नाम स्पष्ट नहीं लिखे गये।

(3) बसीका रजिस्टर में विचाराधीन राशि को दर्ज नहीं किया गया।

(4) सावधि 11/99 से 4/2002 तक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ मास-वार दर्ज नहीं की गई।

(5) रजिस्टर में दर्शाई गई राशियों को सचिव से सत्यापित नहीं करवाया गया।

(ड) भवन निर्माण मैप शुल्क:

नगर पंचायत बद्दी के क्षेत्र में भवन निर्माण के लिये अनुमोदित मानचित्र (मैप) से प्राप्त शुल्क की पड़ताल करने पर पाया गया कि इससे प्राप्त आय के अभिलेख का रख-रखाव सही ढंग से हि०प्र० नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 28 के अनुरूप नहीं रखा गया जो कि असन्तोषजनक है नहीं अपितु त्रुटिपूर्ण भी है। अतः यह अभिलेख नियमानुसार एवं निर्धारित पुपत्र पर तैयार किया जाये। लेखों के अवलोकन से पाई गई अन्य अनियमितताओं। त्रुटियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(1) रु० 29868 की कम वसूली:

जी-8 संख्या 2443 दिनांक 2-8-04 द्वारा मै० Cengar Industries Ltd. प्लॉट नं० 67-68 पर भवन निर्माण मैप जो कि तीन मंजिला अनुमोदित किया गया था, से प्रथम व द्वितीय मंजिल के लिये रु० 69716 की वसूली की गई जबकि धरातल मंजिल के लिये रु० 29868 की वसूली नहीं की गई जो कि अब वसूल करके जमा करवाई जाये।

(2) रु० 1678 रु० की वसूली:

जी-8 संख्या 2692 द्वारा दिनांक 9-3-05 को बी-आर पब्लिक स्कूल के भवन निर्माण मैप के अनुमोदन हेतु शुल्क

मु० 2320 रु० की राशि प्राप्त की गई जो कि धरातल एवं प्रथम मंजिल के लिये थी जबकि द्वितीय मंजिल के लिये मु० 1678 रु० की वसूली नहीं की गई जो कि वसूल करके जमा करवाई जाये।

(3) मु० 4500 रु० की कम वसूली:

नगर पंचायत द्वारा आवेदकों से व्यवसायिक मु० 1000 रु० तथा रिहायशी भवन निर्माण के लिये मु० 500 रु० की वसूली इन्सपैक्शन शुल्क के रूप में की जा रही है। अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि नीचे दिये गये मामलों में इस शुल्क की वसूली नहीं की गई। इस प्रकार मु० 4500 रु० की वसूली सम्बंधित से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाई जाये।

क्र.संख्या	नाम व पता	राशि रु०
1.	सी. आर. आई. अस्पताल, बावास वैड कसौली	1000
2.	बी. आर. पब्लिक स्कूल बद्दी	1000
3.	मै० कपूर बैंड लि० बद्दी	1000
4.	श्रीमति पायल सिंधु, म०नं०34 तृतीय चरण बद्दी	500
5.	डा० सुलक्षणा गुप्ता	500
6	श्रीमति लता गुप्ता	500
	योग:	4500

(4) अभिलेख प्रस्तुत न करने बाबत् !

नीचे दिये गये मामलों में पंजीयन/मानचित्र आवश्यक पड़ताल हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये जिन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जावे।

क्र.सं.	नाम व पता	जी-8 संख्या व तिथि		राशि रु.
1.	श्री जोगीराम गोयल नहीं	208	1-3-02	1500
2.	मै० कम्पोनैन्ट्स व इक्यूपमैंट लि०	212	5-3-02	6000
3.	श्री अशोक कुमार	315	25-3-02	600
4.	श्री विनोद कुमार	1910	3-7-03	520
5.	श्री जगदीश चन्द	1916	10-3-03	647
6.	श्री राकेश कुमार	1923	16-7-03	717
7.	मै० युनिकैम लैब०			
		2728	17-3-05	850

(5) उपरोक्त के अलावा यह भी पाया गया कि भवन निर्माण मैप का अनुमोदन नगर पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है अपितु सचिव स्तर पर अन्तिम रूप देकर किया जाता है जो कि अनुचित है। अतः समस्त मानचित्रों को नगर पंचायत से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुमोदित करवाया जावे तथा भविष्य में भी नियमित रूप से किया जाना भी सुनिश्चित किया जावे। नगर पंचायत क्षेत्र में भवन निर्माण से सम्बन्धित Bye Laws तैयार नहीं किये गये जो कि अब बनाये जावें तथा निर्माण पूर्ण होने पर समापन प्रमाण पत्र प्राप्त करके यह निरीक्षण किया जावे कि निर्माण उन्हीं शर्तों पर किया गया है जो कि मैप पारित करने पर थी अथवा उन्हें विचलित तो नहीं किया गया है।

(ज) पशुवधशाला आय:

म्यु० पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 163 में पशुवध शुल्क वसूल करने का प्रावधान है। इस शुल्क से सम्बंधित सभी सूचनायें / दस्तावेज उक्त नियम के पैरा 3 में निर्धारित प्रपत्र पर तैयार किये जाने अपेक्षित थे। पशुवधशाला की आय से सम्बंधित पाई गई अनियमिततायें नीचे दी गई है-

(1) अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में नगर पालिका द्वारा तीन रसीद पुस्तकें संख्या 7, 12 व 18 पशु चिकित्सा अधिकारी को शुल्क वसूली के लिये जारी की गई जो कि गम्भीर अनियमितता है। अनाधिकृत अधिकारी को रसीद पुस्तकें जारी करने के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे। इसके अलावा रसीदों के दुरुपयोग की सम्भावना को भी टाला नहीं जा सकता। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है कि मामले की पूर्ण छानबीन करके तदानुसार कार्यवाही की जावे।

(2) रसीद बुक संख्या 7 के अवलोकन से पाया गया कि रसीद संख्या 604, 605 तथा 606 के द्वारा रू० 200 प्रत्येक से कुल रू० 600/- की वसूली की गई लेकिन वसूल की गई राशि को

न तो रोकड़ बही में तथा न ही बैंक में जमा करवाया गया। तीनों रसीदों की कार्बन प्रति में लिखा गया कि राशि वसूल नहीं की गई किन्तु मूल रसीद संलग्न नहीं पाई गई जिससे साबित होता है कि यह राशियाँ वास्तव में वसूल की गई थी लेकिन जमा नहीं करवाई गई। मूल: वसूली सम्बंधित से करके जमा करवाई जावे। रसीद बुक 18 की रसीद संख्या 1701 से 1715 तक रु० 1360/- की वसूली की गई जिसे जमा नहीं करवाया गया। रसीद संख्या 1716 से आगे उपयोग किया जाना तथा उक्त राशि जमा

(3) रसीद संख्या 1108 जिसके द्वारा दिनांक 21-8-02 से 23-8-02 के मध्य वसूली की गई, की मूल एवं कार्बन प्रतियाँ गायब थी। इस रसीद के अन्तर्गत रु० 10/- की राशि की वसूली रोकड़ बही में दर्शाई गई जिसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी कि वास्तव में इस रसीद के अन्तर्गत कितनी राशि की वसूली की गई थी इस प्रकार सत्यता जानने के लिये वांछित रसीद प्रस्तुत की जावे

® को जमा किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(4) पशुवध शाला की नस्ति की पड़ताल से पाया गया कि नीचे दिये गये माहों/अवधि की प्राप्त वसूली का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित होता है कि इन माहों/अवधि में प्राप्त राशि का गबन किया गया। इस प्रकार इस मामले की पूर्ण छानबीन करवा कर तदानुसार सम्बंधित से वसूली करके जमा करवाई जावे।

माह/अवधि
8/01 से 11/01
3/02 से 8/02
12/02 से अब तक

(5) सम्बंधित पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित
विवरणिका के अवलोकन से यह भी पाया
गया कि प्रत्येक नग विक्रेता से
एक दिन में केवल एक ही नग का क्रय
करना तथा बिकना दर्शाया गया जो कि
उचित प्रतीत नहीं होता। वध किये
गये नगों की सही मात्रा की जानकारी
के लिये मण्डी समिति के कार्यालय
से पत्राचार करके सही जानकारी
प्राप्त की जावे क्योंकि प्रत्येक माँस
विक्रेता द्वारा दैनिक ब्यौरा फार्म एम-6
में दिया जाता है।

(ख) <u>तहबाजारी शुल्क</u>: जी-8 रसीद संख्या 5
मास जून 2000 से तहबाजारी के लिये शुल्क
की गई लेकिन इस पूरी रसीद बुक
की रसीदों द्वारा की गई वसूल राशि
को सम्बंधित कर्मचारी द्वारा न तो
नगर पंचायत में जमा करवाया गया
तथा न ही रसीद बुक को उपयोग
की गई रसीदें अथवा अनुपयोगी
रसीदों को वापिस किया गया जिससे
यह साबित होता है कि इसका सम्भवतः
दुरुपयोग किया गया। अतः यह मामला
भी उच्च अधिकारियों के ध्यान में
लाया जाता है कि
आवश्यक कार्यवाही करवाकर
मामले की पूर्ण छानबीन की जावे।
तदानुसार कार्यवाही

(ग) <u>अवर्गीकृत आय</u>: रोकड़ बही के अनुसार दिनांक
7.3.2000 को रु 551 रु आय के रूप में की गई
दर्शाये गये जिसके लिये जी-8 जारी नहीं की गई जी-8 के
जबकि नियमानुसार प्रत्येक आय को जी-8 के
अन्तर्गत लिया जाना अनिवार्य है। इस आय के लिये
समर्थन में वांछित अभिलेख प्रस्तुत किया जावे जिससे
यह मालूम किया जा सके कि किस स्रोत से कितनी राशि
की वसूली की जानी थी अथवा की गई।

(ट) सिनेमा शुल्क : मु० 2,95,500 रु० की वसूली :

हि०प्र० सरकार की अधिसूचना संख्या एल.एस.जी.-डी (1) 9/94 दिनांक 8.11.99 के अनुसार सिनेमा घरों से रु० 50 रु० प्रति शो की दर से नगर पंचायत द्वारा वसूली की जानी थी। नगर पंचायत क्षेत्र में 'शान्ति सिनेमा पैलेस' नाम पर सिनेमा थियेटर है जिसमें सिनेमा शो का संचालन किया जा रहा है लेकिन इन से निर्धारित शुल्क की वसूली नहीं की गई। उक्त सिनेमा में प्रति दिन तीन शो दिखाये जाते हैं। यदि उपरोक्त अधिसूचना को दिनांक 8.11.99 से लागू माना जाये तो दिनांक 31.3.2005 तक शो शुल्क के रूप में मु० 2,95,500 रु० की वसूली उक्त सिनेमा से बनती है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि मु० 2,95,500 रु० की वसूली हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये पूर्व में वसूली न किये जाने के कारणों से भी अवगत करवाया जाये

(ड) जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र : निर्धारित अवधि के भीतर जन्म अथवा मृत्यु की सूचना नगर पंचायत कार्यालय में दर्ज न करवाने तथा इन प्रमाण पत्रों की दूसरी प्रति जारी करने पर शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित है लेकिन वर्ष 2002 के उपरान्त इसकी वसूली अकारण नगर पंचायत द्वारा बन्द कर दी। अतः इस वसूली के रोकने सम्बंधी कोई आदेश यदि सरकार द्वारा जारी किये हैं,

अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें अन्यथा जब से यह वसूली बन्द की से आज तक विभागीय तौर पर गणना करके की जाये तथा भविष्य में नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ड) <u>किराया</u>: नगर पंचायत बड़ी की केवल एक दुकान है जिसे किराये पर दिया गया है। यह दुकान बस अड्डे के समीप स्थित है। यह दुकान श्री शिव कुमार सपुत्र श्री सीता राम को मु० 1325 रु० मासिक किराये पर एक वर्ष के लिये पट्टे पर दी गई थी जिसका अनुबंध दिनांक 29-6-2002 को किया गया लेकिन सम्बंधित कार्यालय में पंजीकृत नहीं किया गया जो कि कानूनी दृष्टि से अधूरा अभिलेख है। अनुबंध की शर्त संख्या 2 के अनुसार किराये का भुगतान प्रत्येक मास की 7 तारीख तक किया जाना था लेकिन यदि इसकी पालना न हो तो आगामी कार्यवाही की शर्त तय नहीं की गई। अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि वर्ष 2002-03 में किरायेदार द्वारा कोई भी किराये का भुगतान नहीं किया गया तथा न ही नगर पंचायत द्वारा इसके विरुद्ध कोई कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई गई। मामले में कार्यवाही न करने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये। दिनांक 31-3-2005 को उक्त व्यक्ति से मु० 30775 रु० की बकाया राशि वसूल की जानी शेष थी जिसका विवरण परिशिष्ट "ज" में दिया गया है। अत: किराये की वसूली एवं ब्याज सहित की जावे। एक वर्ष के पश्चात अनुबंध के नवीनीकरण न करवाने का भी स्पष्टीकरण दिया जावे तथा आवश्यक कार्यवाही अब की

(ट) गृह कर :

हि०प्र० पालिका अधिनियम 1994 की धारा 65(ए) के अनुसार प्रत्येक नगर पंचायत/पालिका को अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले भवनों पर अधिकतम 12.5% की दर से गृह कर अधिरोपित किया जाना अपेक्षित है लेकिन नगर पंचायत बड़ी द्वारा अंकेक्षण अवधि में इसे अधिरोपित नहीं किया जिससे न केवल नियमों की ही अवहेलना हो रही है अपितु वित्तीय हानि भी हो रही है। अतः नियमानुसार गृह कर का अधिरोपण शीघ्र किया जाये ताकि भविष्य में इसके एवज़ में प्राप्त की जाने वाली अनुदान से वंचित न रहना पड़े।

(ठ) धारा 66 (1) में कर अधिरोपण :

हि०प्र० पालिका अधिनियम 1994 की धारा 66(1) के अनुसार प्रत्येक कर अधिरोपित किये जाने थे जोकि नगर पंचायत द्वारा नहीं किये गये। अतः आवश्यक कार्यवाही अब की जाये ताकि नगर पंचायत की आय/वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके।

6. भुगतान:

(क) वा० संख्या 8 मास 11/03 मु० 11,000 रु०

मु० 11,000 रु० का अनुचित भुगतान:

नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के लिये सर्व श्री सरदार सिंह तथा गुरचरन सिंह से मु० 11,500 रु० प्रति मास के निश्चित अवधि के लिये हिसाब से अनुबंध किया गया था। दोनों ठेकेदारों ने सचिव, नगर पंचायत से आग्रह किया कि हि० प्र० सरकार ने दैनिक भोगी कर्मचारियों के दैनिक वेतन में बढ़ोतरी करके मु० 60 रु० प्रति दिन कर दी है तथा इस बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप उन्हें भी अनुबंध राशि में बढ़ोतरी की जाये जो कि सर्वथा अनुचित था। इस प्रकार किसी तरह लाभ देने के उद्देश्य से मास 11/02 में संविदाकारों से मु० 11,500 रु० के स्थान पर मु० 12,600 की राशि दर्शा कर अनुबंध किये दर्शाये गये जिसके परिणाम स्वरूप सचिव, नगर पंचायत ने बकाया के रूप में मु० 11,000 रु० का भुगतान सर्व श्री सरदार सिंह व गुरचरन सिंह को अनुचित रूप से किया गया जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके जमा करवाई जाये। वाउचर संख्या 28 मास 01/04 के भुगतान में भी इसी प्रकार की कार्यवाही अमल में लाई जाये। उपरोक्त के अलावा यह भी पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा सफाई कार्य के ठेके उन्हीं ठेकेदारों को

पक्ष में प्रतिवर्ष दिये जा रहे है जो
पूर्व वर्षों से इन कार्यों को लेते रहे है
जबकि अनुबंध समाप्त होने पर
समस्त औपचारिकताओं को पूरी करते
हुये दरें आमंत्रित की जानी अपेक्षित
थी ताकि दर प्रतियोगिता में
ज्यादा से ज्यादा ठेकेदार भाग लेते
और नगर पंचायत को लाभ होता
लेकिन नगर पंचायत ने बैठक में
प्रस्ताव पारित करके पूर्व ठेकेदारों
के पक्ष में राशि बढ़ोतरी करके
वार्षिक ठेके की दरें बढ़ाई गई
जो सर्वथा अनुचित है। अतः यह
मामला सक्षम अधिकारियों के समक्ष
इस आशय से लाया जाता है कि
इस प्रकरण की पूर्ण जांच-पड़ताल
करवाकर सही प्रक्रिया न अपनाने
के लिये जिम्मेवारी निर्धारित करके
तदानुसार कार्यवाही की जाये।

इसके अलावा सभी अनुबंधों में
यह शर्त तय की गई है कि सरकार
द्वारा बढ़ाई गई दैनिक बढ़ोतरी के
अनुसार समय-2 पर भुगतान किया
जायेगा, जो किसी भी सूरत में नहीं है
नगर पंचायत के हित में नगर पंचायत ठेकेदारों
जिसके कारण
को बकाया राशि का भुगतान कर
रही है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता
है कि अनुबंध में तय मासिक राशि के
अलावा अन्य कोई भुगतान मान्य नहीं है
अतः समस्त बकाया की गणना करके
वसूली उचित स्रोत से की जाये।

.....

(ख) मु० 243 रू० का अधिक भुगतान।

वाऊचर संख्या 4 मार्च 2005 द्वारा मु० 10,421 रू० का भुगतान मै० हिम ऑफसैट प्रिंटर, चुमारवीं को उनके बिल संख्या 105, 106 तथा 200 दिनांक 3-3-05 हेतु किया गया जिनके अन्तर्गत विभिन्न मदें मुद्रित करवा कर खरीद की गई। बिल संख्या 106 में एम. डब्ल्यू 18 की दर 18 रू० प्रत्येक थी जबकि बिल में इस मु० 62 रू० दर्शा कर भुगतान किया गया। इसी प्रकार इसी बिल में जी-18 की दर मु० 62 रू० थी जबकि भुगतान मु० 85 रू० की दर से किया गया जिसके परिणाम स्वरूप मु० 243 रू० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित से करके जमा करवाई जाये।

उपरोक्त के अलावा मुद्रण कार्य को सरकारी मुद्रणालय से न करवाने का भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये तथा अनियमित व्यय की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाये।

(ग) ट्रैक्टर ट्रॉली से कूड़ा उठाने की दर में बढ़ोतरी

पालिका क्षेत्र में कूड़ा-कचरा को उठाने का कार्य गुरचरण सिंह, ठेकेदार को पूर्व वर्षों में रु० 180 रु० प्रति फेरे (Trip) की दर से किया जा रहा था। नगर पंचायत द्वारा दिनांक 5-6-03 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा इस दर को रु० 180 रु० उसी ठेकेदार के पक्ष में से बढ़ाकर रु० 225 रु० किया गया जोकि अनुचित था क्योंकि नई दरें आमंत्रित करने हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। इसके साथ-2 यह भी स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया अपनाई गई जिसका पूर्ण औचित्य प्रस्तुत किया जाये तथा अनुचित रूप से बढ़ाई गई दर की सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाई जाये।

(घ) वा० संख्या 26 मास 3/04 रु० 7945 रु०

रु० 7945 रु० का भुगतान सहायक अभियन्ता (विद्युत) को मास 2/04 के बिजली के बिल के रूप में किया गया जिसमें पूर्व बकाया के रु० 225 रु० का भुगतान किया गया जिसका स्पष्टीकरण रूप में बिजली बोर्ड से प्राप्त नहीं किया गया। इस प्रकार आवश्यक वांछित कार्यवाही के बिना किये गये भुगतान को नियमित नहीं माना जा सकता। अतः पूर्व बकाया की पुष्टि करवाई जाये अन्यथा रु० 225 रु० की वसूली सम्बन्धित से करके जमा करवाई जाये।

(I) मु० 58119 रु० का अनुचित भुगतान :
वा० संख्या 31 मास 1/03 मु० 64876 रु०

उक्त वाउचर द्वारा मु० 64876 रु० का भुगतान सहायक अभियन्ता, आवास बोर्ड बरोटीवाला को नीचे दिये गये बिलों के लिये किया गया :-

क्र० संख्या	खाता संख्या	कुल भुगतान राशि रु०	बकाया भुगतान राशि रु०
1.	3 एच.बी.-114	13,848	12,152
2.	3 एच.बी. 113	11,116	10,355
3.	एच.बी. 269	26,017	24,251
4.	एच.बी. 102	13,295	11,361

प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा आवास बोर्ड कलौनी के उपरोक्त बिजली के बिलों (street light) के भुगतान में मु० 58119 रु० की राशि पूर्व बकाया के रूप में अदा की गई लेकिन बकाया राशि का सत्यापन सम्बंधित बिजली बोर्ड से नहीं किया गया कि बकाया राशि आवास बोर्ड की अवधि की देय थी अथवा नगर पंचायत को आवास कलौनी के स्थानान्तरण के बाद देय थी। नगर पंचायत कार्यालय में तैयार किये गये रजिस्टर में उपरोक्त बिलों से पूर्व बिलों की प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी अर्थात इन्हीं बिलों से रजिस्टर में प्रविष्टियाँ शुरु की गई जिससे यह प्रतीत होता है कि यह बकाया राशि आवास बोर्ड अवधिकाल की थी। अतः वस्तुस्थिति सहित अभिलेख और आगामी जाँच तथा अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भुगतान बिजली बोर्ड से पत्राचार करके इस भुगतान के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करके जाँच जिनका सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाये।

(घ) वाउचर संख्या 2 मास 3/2000 मु० 5700 रु०

मु० 5700 रु० का भुगतान श्री सरदार सिंह, सफाई ठेकेदार को माह 1/2000 के रूप में किया गया। भुगतान की पड़ताल करने पर पाया गया कि कुल राशि मु० 10,200 रु० से मु० 500 रु० प्रतिभूति (security) के रूप में कटौती की गई लेकिन सम्बंधित रजिस्टर में इसकी प्रविष्टी नहीं की गई। इसके अलावा अनुबंध से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में अनुबंध की शर्तों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आवश्यक वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जावे।

(ङ) वा० संख्या 6 मास 3/2000 मु० 5230 रु०

मु० 5230 रु० का भुगतान श्री एम.एल. अंसारी, सचिव को मास 12/99 के वेतन से की गई कटौतियों के रूप में किया गया जो इस प्रकार थी:-

अंशदायी निधि वसूली	=	1000 रु०
अंशदायी subscription	=	2000 रु०
स्कूटर अग्रिम वसूली	=	500 रु०
अंशदायी निधि subscription	=	865 रु०

यह कटौतियाँ वास्तव में उनके सम्बन्धित खातों में जमा की जानी थी न कि उन्हें नकद भुगतान किया जाना था। इसके अलावा मु० 865 रु० employer share की अदायगी भी की गई जो अनुचित है। अतः सम्बन्धित राशियों कटौतियों को जमा कराने के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति दर्शाई जाये तथा मु० 865 रु० जो कि employer share के रूप में अदा किये गये, की वसूली सम्बन्धित से की जावे।

.....

(जे) वा० संख्या 2 माह 7/2000 मु० 4560 रु०

मु० 4560 रु० का भुगतान मै० कुशल बिल्डिंग मैटिरियल सप्लायर को कूड़ा उठाने के रूप में किया दर्शाया गया। बिल के अनुसार कुल 24 फेरे (Trips) दर्शाये गये लेकिन किस दिन कितने फेरे लगाये गये, इसका कोई अभिलेख/रजिस्टर में ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया। यद्यपि नगर पंचायत के लिपिक द्वारा बिल का सत्यापन किया गया जो कि महज औपचारिकता मात्र ही क्योंकि इसके समर्थन में कोई अभिलेख/रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। इस प्रकार भुगतान के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आवश्यक वांछित सूचना आगामी संप्रेक्षण में उपलब्ध करवाई जाये अन्यथा अनुचित रूप से किये भुगतान की वसूली उचित स्रोत से की जाये।

(झ) वा० संख्या 17 माह 1/03 मु० 14674 रु०

उक्त वाउचर के अन्तर्गत मु० 399 रु० खाता संख्या 7002 में [illegible] के रूप में जमा सम्बन्धी आहरण किया बिल से करवाये जाये लेकिन कटौती की गई थी। मु० 390 रु० की उक्त खाते में इस प्रकार मु० 9 रु० अधिक जमा करवाये गये जिनका समायोजन किया जाये।...

((ग) वा० संख्या 4 मास 2/2001 मु० 13454 रु०

मु० 15888 रु० का अधिक भुगतान :

उक्त वाउचर द्वारा वैद्य नाथ फैक्टरी से एच.बी.ओ.पी. सड़क में कोलतार बिछाने के कार्य के लिये श्री कुलदीप चौमान, संविदाकार को इनके प्रथम एवं अन्तिम बिल के रूप में भुगतान किया गया जिसमें मु० 15888 रु० की वह राशि भी सम्मिलित थी जो कि धरोहर राशि के रूप में घात की दर्शाई गई। अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि मु० 15888 रु० की धरोहर राशि की रोकड़ बही में कोई प्रविष्टी दर्ज नहीं पाई गई तथा न ही रसीद संख्या व तिथि का कहीं उल्लेख किया गया जिसके अन्तर्गत यह राशि घात की गई थी। इस प्रकार मु० 15888 रु० का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाये।

उपरोक्त के अलावा मु० 7167 रु० जिनकी कटौती प्रतिभूति के रूप में इक्त बिल से की गई थी तथा जिसे कार्य समाप्ति के छः मासों के पश्चात वापिस किया जाना था, का भी भुगतान कर दिया गया जो कि अनुचित थी इस प्रकार नियमों के विरुद्ध वापिस प्रतिभूति राशि का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुचित भुगतान का नियमितिकरण करवाया जाये।

(ट) वा० संख्या 3 मास 2/2001 मु० 3200 रु०

उक्त वाउचर द्वारा मु० 3200 रु० का भुगतान श्री प्रदीप कुमार लिपिक को मास 1/01 के वेतन के रूप में किया दर्शाया गया लेकिन भुगतान के समर्थन में बिल व पावती आदि कोई अभिलेख संप्रेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में किये गये भुगतान के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांछित अभिलेख आवश्यक पड़ताल हेतु आगामी संप्रेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

(ठ) वा० संख्या 8 मास 2/2001 मु० 3907 रु०

मु० 3907 रु० का भुगतान श्री गुरचरन सिंह, पेन्टर को कार्यालय भवन में सफेदी करने हेतु किया गया लेकिन भुगतान के समर्थन में तथा काम निष्पादित करवाने के लिये की गई आवश्यक औपचारिकताओं सहित कोई अभिलेख संप्रेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके बिना किये गये भुगतान के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांछित सूचनायें/अभिलेख आगामी संप्रेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

(3) वा० संख्या 6 मास 2/2001 मु० 17,820 रु०

मु० 17,820 रु० का अनुचित भुगतान:

मु० 17820 रु० का भुगतान हि०प्र० एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन मालागढ़ को डुप्लीकेट बिल के तहत किया दर्शाया गया जिसके अनुसार एक गारबेज कंटेनर की खरीद की दर्शाई गई। उक्त डुप्लीकेट बिल के पृ० 2 पर की गई टिप्पणी के अनुसार व्यापार मण्डल बद्दी के अध्यक्ष ने चार कंटेनर नगर पंचायत को दान देने स्वीकार किये थे जिसमें से तीन कंटेनर की अदायगी उनके द्वारा कर दी गई लेकिन एक कंटेनर जिसका बिल मार्किट कमेटी को जारी किया गया था का भुगतान नगर पंचायत बद्दी के सचिव ने अनुचित रूप से किया। सचिव के अनुसार यह मामला सम्बंधित कमेटी से उठाकर भुगतान राशि की वसूली हेतु कार्यवाही करने के लिये अपनी टिप्पणी में उल्लेख किया था लेकिन इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा नगर पंचायत सम्बंध में प्रस्ताव पारित की इस भुगतान हेतु नहीं करवाया गया। इस प्रकार मु० 17820 का नगर पंचायत सचिव द्वारा अनुचित भुगतान नगर पंचायत कोष से किया गया जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी निरीक्षण में दिखाई जाए। उपरोक्त के अलावा अन्य तीन कंटेनरों की जो डोनेट किये गये थे, की भी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई।

(ड) मु० 998 रु० का अधिक भुगतान:

वा० संख्या 16-ए मास 8/05 मु० 33572 रु०

नगर पंचायत द्वारा मास 5/05 से 6/05 के दौरान ठेकेदारों के बिलों से मु० 32575 रु० की राशि नीबिक्री कर के रूप में कटौती की गई लेकिन गलत गणना के कारण उक्त वाउचर द्वारा सम्बन्धित विभाग को मु० 33572 रु० की अदायगी करके मु० 998 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित विभाग अथवा कर्मचारी से करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाये।

" (ण) वा० संख्या 16-बी मास 8/05 मु० 36135 रु०

मु० 240 रु० का अधिक भुगतान:

मास 3/05 से 6/05 के दौरान ठेकेदारों से उनके निर्माण कार्यों के बिलों से मु० 35821 रु० की कटौती आयकर के रूप में की गई लेकिन गलत गणना के कारण आयकर विभाग को मु० 36061 रु० का भुगतान करके मु० 240 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित विभाग अथवा कर्मचारी से करके जमा करवाई जाये। भुगतान के समर्थन में वास्तविक चालान भी अभिलेख में मौजूद नहीं थी जिसे प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

7 वा० संख्या 11 मास 5/2001 मु० 6024 रु०
रु० 1230 रु० का अधिक भुगतान:
रु० 6024 रु० का भुगतान श्री संजीव कुमार संविदाकार को वार्ड नं 4 में ड्रेन की सफाई के लिये किये गये कार्य से की गई कटौती (जमानत) एवं धरोहर राशि की वापसी के रूप में की गई। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त राशि में टेंडर के रु० 1230 रु० की राशि जो वसूल की गई समय संविदाकार से दर्शाई गई थी की वापसी भी की गई लेकिन इस राशि की पावती के समर्थन में कोई अभिलेख वांछित में प्रस्तुत नहीं किया गया कि यह राशि किस रसीद व तिथि को प्राप्त करके रोकड़ बही में दर्ज की गई। जब तक पावती का सत्यापन रोकड़ बही में नहीं किया जाता तब तक वापसी नहीं की जा सकती। रोकड़ बही में रु० 1230 रु० की प्राप्ति दर्शाई जावे अन्यथा रु० 1230 रु० की वसूली सम्बंधित से करके जमा करवाई जावे।

(ञ) वा० संख्या 13 मास 5/2001 रु० 9999 रु०

उक्त वाउचर द्वारा रु० 9999 रु० का भुगतान मै० लक्ष्मी ट्रेडर, बड्डी को नीचे दिये गये फर्नीचर की खरीद हेतु किया गया। भुगतान का अवलोकन करने पर पाया गया कि फर्नीचर की खरीद खुले बाजार से की गई लेकिन आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया अतः सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसका नियमितिकरण करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

बिल नं. व तिथि	विवरण	राशि रु०
354 तिथि 9.2.2001	मेज 5'x3'	2200
—"—	मेज 4'x2'	1800
—"—	डस्ट बिन	75
—"—	शीशा	190
371 तिथि 1-3-01	मेज	2200
—"—	डस्ट बिन	25
382 तिथि 12-3-01	अलमारी	2600
		9090
	+10% किराया	909
		9999

(ट) वा० संख्या 18 मास 5/2001 रु० 280 रु०

रु० 280 व्यय जोगिन्द्रा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक बड्डी को ड्राफ्ट की कमिशन के रूप में किया दर्शाया गया लेकिन इसके समर्थन में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जावे।

(21) मूल अनुबंध की शर्तों को बदलना

दिनांक 11-8-1999 को अधिसूचित नगर पंचायत तथा श्री सरदारा सिंह पुत्र श्री कालू राम के मध्य अवधि 16-8-99 से 30-11-99 के लिये नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया जिसमें रु० 10,200 रु० प्रति मास की दर से नगर पंचायत द्वारा अदायगी करनी तय की गई थी। इस अनुबंध की अवधि 30-9-2000 तक बढ़ाया गया लेकिन औपचारिक अनुबंध तैयार नहीं किया गया। यद्यपि निदेशक शहरी विकास द्वारा अपने पत्र संख्या श० वि० (सी)(5)-1/2000 दिनांक 31-7-2000 द्वारा अवधि 1-4-2000 से 30-9-2000 के लिये रु० 11,000/- प्रति मास की दर से अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात दिनांक 30-5-2001 को एक वर्ष यानि दिनांक 1-6-01 से 31-5-2002 के लिये रु० 10,200 रु० प्रति मास की दर से पुनः श्री सरदारा सिंह से ठेका हुआ लेकिन हस्ताक्षर करने के उपरान्त मूल अनुबंध में रु० 10,200 रु० के स्थान पर रु० 11,500 रु० काट कर लिखे गये जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि मूल अनुबंध की हस्ताक्षरित शर्त को इसमें बदला नहीं जा सकता। अतः यह मामला उच्च प्राधिकारियों के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा अनुबंध एनटि में दिये अतिरिक्त भुगतान मु० 15,600 रु० की वसूली शीघ्र करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाई जाये। वर्ष 2004-05 के अनुबंध को ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया। आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाये।

(ग) वा० संख्या 22 मास 5/01 मु० 47905 रु०

मु० 47,905 रु० का भुगतान मै० लक्ष्मी ट्रेडर्स, बड्डी को उनके बिल संख्या 55 दिनांक 1-6-2001 हेतु किया गया जिसके अन्तर्गत नीचे दिया गया फर्नीचर खरीद किया गया।

क्र०सं०	मद नाम	संख्या	राशि रु०
1.	अल्मारी 36"x78"x22"	1	3650
2.	—"— (छोटी)	2	5300
3.	टेबल	1	3250
4.	कॉन्फ्रेंस टेबल	4	11400
5.	रिवाल्विंग कुर्सी	1	1800
6.	बैंच	3	3000
7.	कैप्सूल कुर्सी	9	11400
8.	रैक	2	3750

अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि सचिव नगर पंचायत द्वारा एक सूचना जारी की गई जो सर्व साधारण के लिये थी, जिसके अन्तर्गत उपरोक्त फर्नीचर कार्यालय के लिये खरीद करने की बात कही गई थी तथा यह सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड, व्यापार मण्डल कार्यालय के लिये जारी की गई जो कि नियमों के प्रतिकूल है। सर्व दर्शाई गई जो कि नियमों के ... रेट कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से प्रथम यह वस्तुएं खरीदी जानी अपेक्षित थी। यदि यह वस्तुएं न थी तो सम्बन्धित क्रय की जानी अपेक्षित थी। रेट कॉन्ट्रैक्ट में अनुपलब्ध होने पर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये ही खुले बाजार से खरीद की जानी अपेक्षित थी। लेकिन वर्तमान खरीद के मामले में किसी विशेष सप्लायर से खरीद करने के उद्देश्य से यह साबित होता है कि औपचारिकता को मात्र पूर्ण करके अनुचित लाभ का प्रयास किया गया। अतः जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये तदनुसार इस मामले की गई खरीद की व्यक्तिगत कार्यवाही की जावे। अतः फर्नीचर को नगर परिषद को सौंप कर आगामी अंकेक्षण में पारित करने हेतु प्रस्तुत करे।

(घ) वा० संख्या 24 मास 3/02 मु० 21,140 रु०

मु० 21,140 रु० का भुगतान प्रबंधक निदेशक, नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला को किया गया। भुगतान सम्बन्धी सीमेंट बिल से प्राप्त बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 6-4-02 तक 2200 सीमेंट बोरे नगर पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये जिनकी भुगतान योग्य राशि मु० 2,17,500 रु० बनती थी जिसका विवरण उक्त वाउचर के साथ संलग्न है। रोकड़ बही व अन्य संबंधित अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 31-3-2002 तक मु० 2,69,508 रु० जिसका विवरण नीचे दिया गया है नगर पंचायत द्वारा किया जा चुका था :-

वा० संख्या व मास	राशि
20 मास 1/02	51,456
21 मास 1/02	96,912
25 मास 2/02	1,00,000
24 मास 3/02	21,140
	2,69,508

इस प्रकार 31-3-2002 तक नगर पंचायत द्वारा मु० 30868 रु० का अधिक भुगतान किया जा चुका था तथा मु० 21,140 रु० के भुगतान के साथ यह राशि मु० 52008 रु० बन गई। अतः मु० 21,140 रु० के उक्त भुगतान का लेखा परीक्षा में औचित्य दिया जावे तथा अनुचित सहित भुगतान की जिम्मेवारी निर्धारित करके तदानुसार कार्यवाही की जावे। नगर पंचायत कार्यालय में अग्रिम भुगतान का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया जिससे समय-2 पर वस्तु स्थिति की सूचना प्राप्त होती जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए यह मान तैयार करके इंगित में प्रस्तुत करें।

(क) वा० संख्या 9 मास 7/2002 मु० 862 रु०

मु० 62 रु० की बसूली।

मु० 862 रु० का भुगतान हि० प्र० विद्युत बोर्ड शाखा बद्दी को सुलभ शौचालय के बिजली बिल के रूप में किया गया। युक्त बिल का भुगतान किया जाना देय तिथि तक मु० 800 रु० किया जाना था लेकिन देय तिथि तक भुगतान न करने के कारण मु० 862 रु० का भुगतान करके मु० 62 रु० का अधिक भुगतान नगर पंचायत कोष से किया गया जिसकी बसूली सम्बन्धित से करके जमा करवाई जाये। बिजली के भुगतान का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जो अब तैयार करके पूर्ण किया जाये।

(ख) वाऊचर संख्या 16 मास 7/02 मु० 7400 रु०

मु० 7400 रु० का भुगतान सहायक अभियन्ता, हि० प्र० राज्य बिजली बोर्ड शाखा बद्दी को उनके पत्र संख्या HPSEB/ESD/C-1/2000-692 दिनांक 21-6-2002 हेतु अग्रिम के रूप में किया गया। उपरोक्त पत्र में अग्रिम के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं किया गया तथा अग्रिम के समर्थन में समायोजन लेखा सम्बन्धित बोर्ड से प्राप्त नहीं किया गया। इस प्रकार वांछित समायोजन लेखा प्राप्त करके आगामी संकेक्षण में दिखाया जाये अन्यथा मु० 7400 रु० की बसूली उचित स्त्रोत से की जाये।

(ञ) वाउ संख्या 11 माह 7/2002 मु० 17708 रु० ।

मु० 7084 रु० की वसूली :

उक्त वाउचर द्वारा मु० 17708 रु० का भुगतान मै० लक्ष्मी इलैक्ट्रिकल कं० चण्डीगढ़ को उनके बिल संख्या 22262 दिनांक 4-7-02 हेतु किया गया जिसके अन्तर्गत नीचे दी गई वस्तुएँ खरीद की गई :-

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा	राशि
1.	ट्यूब रॉड फिटिंग, रॉड, चौक सहित	30	6300
2.	ट्यूब रॉड	100	3850
3.	चौक	50	4900
4.	स्टारटर	80	544
5.	ट्यूब साईड होल्डर	80	952

भुगतान बिल की पड़ताल करने पर नीचे दी गई आपत्तियाँ/त्रुटियाँ पाई गई जिनके समाधान हेतु उचित कार्यवाही की जाये :-

(1) क्रम संख्या 1 में दी गई 30 ट्यूब रॉड complete fittings को दिनांक 29.8.2002 को वापिस कर दिया गया (पत्र संख्या एन.पी./बही/2002-926) लेकिन मु० 6552 (6300 + 252 S.T.) की वसूली नहीं की गई ।

(2) मु० 11.50 रु० की दर से 80 ट्यूब साईड होल्डर की खरीद हेतु मु० 952 रु० का भुगतान किया गया जबकि देय राशि मु० 920 रु० बनती थी । इस प्रकार मु० 32 रु० का अधिक भुगतान किया गया ।

(3) उपरोक्त बिल में मु० 500 रु० हैण्डलिंग चार्जिस के रूप में अदा किये गये जो देय नहीं थे / हैं । वसूली अविलम्ब करके सूचित की जाये ।

(4) क्रय की गई समस्त सामग्री पेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से खरीद की जानी अपेक्षित थी लेकिन इसे खुले बाजार से बगैर टेण्डर के किया गया / है, स्थानीय बाजार को नजर-अंदाज करने की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति इन परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करके नियमित करवाया जाये

(म) वा० संख्या 32 मास 7/02 मु० 22528 रु०

मु० 22528 रु० का भुगतान मै० लक्ष्मी ट्रेडर्स, बद्दी को उनके बिल जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, हेतु किया गया।

क्र.सं.	बिल संख्या व तिथि	सामग्री नाम	राशि रु०
1.	66 दिनांक 12-4-02	पी.वी.सी. प्लास्टिक	460
2.	71 दिनांक 14-5-02	बिजली का सामान	7733
3	65 दिनांक 10-4-02	—"—	2750
4	70 दिनांक 13-5-02	अलमारी	4180
5.	67 दिनांक 17-4-02	पंखे	2310
6	68 दिनांक 18-4-02	रैक	990
7	69 दिनांक 29-4-02	गिलास	165

भुगतान वाउचर की पड़ताल करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ / त्रुटियाँ पाई गई ~~जिनके समाधान~~ हेतु उचित कार्यवाही की जाये।

(1) उपरोक्त सभी वस्तुयें एक ही सप्लायर से खरीद की गई जिसके बिलों के अन्तर्गत यह लिये कुल 7 बिलों में एक ही सामग्री खरीद की गई। एक ही सप्लायर से piece-meal में खरीदने का उद्देश्य केवल औपचारिकताओं को टालना था जिसका दोष तथ्यों सहित खोजा जाये। अधिकांश वस्तुयें डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से क्रय की जानी अपेक्षित थी परन्तु महत्व की औपचारिकताओं को पूर्ण करने का प्रयास किया गया तथा दरें निजि तौर पर तीन-2 सप्लायरों से आमंत्रित

की दर्शाई गई। खुले बाजार से क्रय करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। अतः अनियमित क्रय से किये व्यय का सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जावे।

(2) पी.वी.सी फ्लौरिंग मद की भुगतान दर अत्याधिक प्रतीत होती है जिसका औचित्य दिया जावे। स्टॉक प्रविष्टी व प्रयोग का ब्यौरा नहीं दिया गया।

(3) बिल संख्या 71 के अन्तर्गत ट्यूब रॉड रु 48 तथा चौक 115 रु की दर से खरीद की गई है जबकि वाउचर संख्या 11 माह 7/02 के अन्तर्गत इनको दर क्रमशः रु 38.50 रु तथा 9.80 रु से भुगतान किया गया। इसके अलावा बिल संख्या 65 में ट्यूब Complete fitting रु 285 रु तथा ट्यूब रॉड रु 45 रु प्रत्येक की दर से खरीद की गई जबकि वा० संख्या 11 माह 7/02 में यही वस्तुएँ क्रमशः रु 210 रु तथा 38.50 रु की दर से खरीद की गई थी। इस प्रकार एक ही माह में अलग-2 दरों पर किये गये भुगतान का औचित्य दिया जावे अन्यथा अन्तर दर भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके जमा करवाई जावे।

(ग) वा० संख्या 16 मास 1/03 मु० 26,000 रु०

कु० 26,000 रु० का भुगतान मै० लक्ष्मी ट्रेडर बद्दी को बिल संख्या 212 दिनांक 4-1-03 हेतु किया गया जिसके अन्तर्गत नीचे दी गई विद्युत सामग्री खरीद की गई:-

वस्तु का नाम	मात्रा	राशि
सोडियम वाईपर लैम्प	10	5900
सोडियम चौक	10	10600
इग्नाईटर	15	3900
	योग	20400
	बि०कर	1632
		22032

उपरोक्त क्रय की गई वस्तुयें स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई जिन्हें बिजली कार्य के ठेकेदार को जारी किया दर्शाया गया लेकिन इन समस्त वस्तुओं के उपयोग के समर्थन में कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख उस रजिस्टर सहित जिसमें पुरानी वस्तुओं का लेखा तैयार किया गया है, अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जावे अन्यथा वसूली उचित स्त्रोत से की जावे।

उपरोक्त के अलावा इन वस्तुओं को रेट कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से क्रय न करने का ठोस तथ्यों सहित औचित्य दिया जावे तथा सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस त्रुटि का नियमितिकरण करवाया जावे।

(2) खाता संख्या 5737 में मु० 35,000 रु० की वापसी बारे

दिनांक 5-12-2003 को सामान्य रोकड़ बही से मु०35,000 रु० की निकासी करके इस राशि को डी० सी० इन्जिनियरिंग फाउन्डेशन, शिमला को IDSMT प्रोजैक्ट तैयार करने के रूप में अदा की गई जिसका भुगतान इसी प्रोजैक्ट की रोकड़ बही से किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण समाप्ति तक इस राशि को सामान्य रोकड़ बही में वापिस नहीं किया गया। अत: आवश्यक वांछित कार्यवाही अमल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ख) वा० संख्या 11 मास 7/03 मु० 33,802 रु०
वा० संख्या 12 मास 7/03 मु० 18774 रु०

उक्त भुगतान वाउचरों द्वारा ठेकेदारों की धरोहर राशि अदा की दर्शाई गई लेकिन धरोहर राशि के जमा के समर्थन में नगर पंचायत द्वारा जारी G-8 संलग्न नहीं की गई तथा न ही रोकड़ बही में धरोहर राशि की वापसी का उल्लेख किया गया जिसके अभाव में भुगतानों के सही होने की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: आवश्यक वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

इसके अलावा निर्धारित प्रपत्र में कार्य आरम्भ करने, समाप्त करने की तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया तथा माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या का भी ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया जो कि मूल ही नहीं ज्ञापित [illegible] है अत: आवश्यक कार्यवाही अमल की जाए।

(ग) सुलभ शौचालय अनुबंध में अनियमिततायें.

नगर पंचायत बद्दी में रू० 6,95,900/- की लागत से सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया। निदेशक शहरी विकास ने अपने पत्र संख्या यू.डी.-एच (ए) ई(विo-सैल)1/2000-14170 दिनांक 5-9-2000 द्वारा सुलभ शौचालय के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की। नगर पंचायत द्वारा अनुबंध के लिये साधारण Standard format शहरी विकास निदेशालय को भेजा गया लेकिन किन-2 धाराओं को delete करना था या संशोधन करना था, इसकी सिफारिश सचिव द्वारा नहीं की गई। परिणाम स्वरूप Standard format की समस्त धाराओं को अनुबंध की शर्तों में सम्मिलित कर दिया गया जिनमें कुछेक नगर पंचायत के हित में नहीं हैं। अनुबंध की शर्त/धारा 14 के अनुसार Sulabh International Social Service के साथ 30 वर्षों के लिये अनुबंध किया गया जिसकी वाध्यता इतनी अधिक है कि इससे पूर्व इस अनुबंध को तोड़ा नहीं जा सकता। शर्त संख्या 18 के अनुसार 30 वर्षों तक बिजली व पानी मुफ्त मुहैया करने का प्रावधान रखा गया जिसका भुगतान नगर पंचायत द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है तथा यह दोनों सुविधायें नगर पंचायत को दूसरे विभागों/संस्थाओं से प्राप्त करके देनी पड़ रही हैं जबकि वास्तविक लागत के आधार पर उपयोगता को

इनके बिलों का भुगतान किया जाना तय किया जाना था। यह दोनों सुविधायें ऐसी हैं कि जिनका कभी भी उपभोक्ता द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है जिसकी रोक थाम के लिये अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

वास्तव में सुलभ शौचालय का निर्माण करके इसे निश्चित अवधि के लिये पट्टे पर सुलभ शौचालय अथवा अन्य को निश्चित दर पर देना चाहिये था जिससे नगर पंचायत को आय प्राप्त होती। लेकिन नगर पंचायत के हित को कहीं भी नहीं रखा गया जो सर्वथा अनुचित है जिसके लिये मामले की पूर्ण छानबीन करवा कर सचिव के विरुद्ध जिम्मेवारी निर्धारित करके तदानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये।

उपरोक्त के अलावा यह भी पाया गया कि सुलभ शौचालय को अनुमानित राशि के अनुसार रु० 6,95,100 रु० का भुगतान किया गया लेकिन नगर पंचायत द्वारा वास्तविक व्यय की विवरणिका प्राप्त नहीं की गई तथा न ही वास्तविक कार्य का प्राक्कलन के साथ मिलान किया गया, कि किये गये कार्य में deviation तो नहीं है। अतः आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाये तथा भुगतान राशि से व्यय राशि की अन्तर स्थिति में वसूली की जाये व deviation की स्थिति में मूल प्राक्कलन से संशोधित प्राक्कलन का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाया जाये।

(21) वाउ संख्या 3 मास 3/05 मु० 20,000 रु०
—"— 4 मास 3/05 मु० 20,000 रु०
—"— 5 मास 3/05 मु० 11,000 रु०

उक्त वाउचरों द्वारा सर्व श्री सरदार सिंह, गुरचरण सिंह तथा राम कुमार को मास 2/05 के लिये सफाई कार्य हेतु भुगतान किया गया जिन्हें अवधि 3/04 से 4/05 सफाई का ठेका दिया गया था। अनुबंध के अवलोकन से पाया गया कि नगर पंचायत ने अपनी बैठक दिनांक 21-5-04 को प्रस्ताव संख्या 6 में पारित किया कि मौजूदा ठेकेदारों को उनका अनुबंधित दर राशि में बढोतरी करके आगामी एक वर्ष के लिये कार्य ठेके पर दे दिया जाये जो कि उचित नहीं है क्योंकि समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये नये अनुबंध के लिये प्रक्रिया अपनाई जानी थी। इस प्रकार उक्त कार्य को ठेके पर दिये जाने हेतु जो कार्यवाही नगर पंचायत द्वारा अमल में लाई गई वह अनियमित है नहीं अपितु नगर पंचायत के हित में भी नहीं है क्योंकि दर प्रतियोगिता में संस्था को लाभ हो सकता था। अत: अनियमित रूप से अपनाई गई प्रक्रिया का ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये तथा भविष्य में नगर पंचायत के हितों को ध्यान में रखकर सही प्रक्रिया अपनाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(ध) बिजली के बिलों का भुगतान :

वा० संख्या 1 मास 8/04 मु० 2764360
वा० संख्या 6 मास 8/04 मु० 584498

उक्त वाउचरों द्वारा सहायक अभियन्ता (विद्युत) को नीचे दिये गये बिजली बिलों का भुगतान किया गया। पड़ताल करने पर पाया गया कि बिजली बिलों का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिसके बिना पुरानी रीडिंग से नई रीडिंग का मिलान नहीं किया जा सका तथा व्यय के सही होने की संपरीक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार वांछित अभिलेख तैयार करके आगामी संपरीक्षण में आवश्यक पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाये तथा इसे भविष्य में नियमित रूप से तैयार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

क्र०सं०	लेखा संख्या	राशि रु०
1.	एस.एम.टी - 116	10,335
		421
2.	डब्लू एच - 46	
		16677
3.	पी.बी. 339	
		210
4	पी.बी. 338	
5	एस. आई-डी सी - 80	24311
6	एस. आई.डी. सी - 80	34138

(9) **अनुचित व्यय**

नीचे दिये गये मामलों में नगर पंचायत द्वारा विभिन्न भुगतान किये गये जो कि नगर पंचायत निधि से उचित प्रकार नहीं था। इस प्रकार इन व्ययों का सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाये अन्यथा प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करके लेखा कार्रवाई जाये तथा भविष्य में इस चूक को न दोहराया जाये।

वा० संख्या व तिथि	राशि रु०	टिप्पणी
20 माह 8/04	3200	स्वतन्त्रता दिवस समारोह हेतु व्यय
12 माह 8/04	300	(नगर पंचायत की बैठक में जलपान हेतु व्यय किये निर्धारित माप-दण्डों तक सीमित किया जाये)
12 माह 3/05	597	-यथोपरि-
18 माह 3/05	2000	नगर पंचायत की उपलब्धियां दिव्य हिमाचल में प्रकाशित करने हेतु व्यय
29 माह 3/05	1976	दैनिक ट्रिब्यून में अपील का प्रकाशन
31 माह 3/05	2000	अमर उजाला में मुख्य अतिथि के आगमन का प्रकाशन

योग: 10,073

(ह) भुगतान आदेश पारित न करना

भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नीचे दिये गये मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान के समर्थन में आवश्यक भुगतान आदेश पारित नहीं किये गये। इस प्रकार भुगतान आदेशों के बिना किये गये भुगतानों का स्पष्टीकरण देते हुये किये गये भुगतानों अनियमित रूप से किये गये भुगतानों की सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमितीकरण करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

बा०संख्या व मास	राशि रु०	टिप्पणी
2 मास 3/01	9700	मास 1/2001 के सफाई ठेके का भुगतान।
3 —यथोपरि—	2660	मिट्टी के उठाने का कार्य।
4 —यथोपरि—	10,200	मास 2/2001 के सफाई ठेके का भुगतान
5 —यथोपरि—	8100	[illegible] की खरीद।
6 —यथो०—	5220	सचिव को भुगतान
7 —यथो०—	258	आकस्मिक व्यय
8 —यथो०	220	झाडू की खरीद
8 मास 5/01	11500	सफाई ठेके का भुगतान
14 —यथोपरि—	33160	200 बोरी सीमेंट की खरीद।
18 मास 5/01	280	बैंक प्रभार व्यय
8 मास 3/02	30	स्टाम्प की खरीद
4 मास 7/02	570	बिजली के मीटर हेतु भुगतान।

13 मास 7/02	300	चुनाव प्रचार हेतु टैम्पू किराया
6 मास 1/03	12600	सफाई ठेके का भुगतान माह 12/02 हेतु
20 मास 1/03	270	बिजली बोर्ड को भुगतान
22 मास 1/03	94,457	निर्माण कार्य के बिल का भुगतान
30 मास 1/03	82021	— यथोपरि —
41 —"—	2000	बिजली के मीटर का पुनः कनेक्शन लेना
13 मास 7/03	1,44,500	सड़क पक्की करने का कार्य।
16 मास 7/03	1,95,626	नाली के निर्माण कार्य का भुगतान
21 व 22 मास 7/03	15944 व 840	सेवानिवृत्त वेतनभोगियों की बकाया राशि का भुगतान
26 मास 7/03	13691	बिजली के बिलों की अदायगी।
27 मास 7/03	790	दूरभाष बिल का भुगतान
28 मास 7/03	2500	~~[illegible]~~ पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण बोर्ड की अदायगी।

7. <u>निर्माण कार्य</u>: नगर पंचायत बेढ़ा के विकास निर्माण कार्य प्राय: संविदाकारों द्वारा ही किये गये। अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये अभिलेख के अवलोकन से नीचे दी गई त्रुटियां/अनियमिततायें पाई गई जिनके समाधान हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये।

(1) निर्माण कार्यों के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया।

(2) निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिनके अभाव में किये गये कार्यों एवं समस्त भुगतानों का औचित्य देते हुये सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाये।

(3) प्राक्कलन में निर्धारित की जाने वाली मदों का पूर्ण nominclature नहीं लिखा गया जिसके अभाव में भुगतान में दरों की दैय राशि की गणना सही कर पाना सम्भव नहीं होता।

(4) कार्यों के प्राक्कलनों को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया तथा न ही तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई।

(5) निर्माण कार्यों का जॉब रजिस्टर तैयार नहीं किया गया।

(6) प्राय: निर्माण कार्यों का आवंटन स्थानीय संविदाकारों को ही किया गया जो इस बात का भी सूचक है कि संविदाकारों द्वारा मिल-जुलकर दरें भरी गई तथा कार्य प्राप्त किये गये।

(7) निर्माण कार्यों को विभिन्न चरणों में दर्शा कर Split-up करके एक ही संविदाकार को आवंटित करके निष्पादित करवाया गया जो स्पष्ट करता है कि आवश्यक औपचारिकताओं को टालने का यह प्रयास किया गया जो कि नियमों / अनुदेशों की पूर्णतया अवहेलना है।

(8) भुगतान बिलों के साथ निर्माण सामग्री की रवन्ना बिलटियां संलग्न नहीं की गई जिससे वसूल की गई राशि के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। निर्माण सामग्री की रवन्ना का ब्यौरा प्राय: माप पुस्तिका में भी तैयार नहीं किया गया। बिलों से की गई वसूलियों का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं किया

(9) अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मदों के दर विश्लेषण तैयार करके सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाये गये तथा सम्बंधित अधिकारी द्वारा टेस्ट चैक नहीं किया गया।

(10) निर्माण कार्यों की लागत में आई विचलनता (Deviation) को सक्षम अधिकारियों से अनुमोदित नहीं करवाया गया जिसके बिना किये गये भुगतानों का नियमानुसार औचित्य दिया जाये तथा deviated राशि की वसूली उचित स्रोत से की जाये।

(11) चर्चा में बताया गया कि नगर पंचायत के निर्माण कार्यों से सम्बंधित समस्त अभिलेख प्रबंधि 5/2001 से पूर्व नगर पंचायत नालागढ़ के कार्यालय में तैयार किया गया जिसे वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया यद्यपि अंकेक्षण मांगपत्र संख्या अं. (ऑडिट)-197/8 दिनांक 17-3-2006 द्वारा अभिलेख

प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया।

(12) विभागीय तौर पर जारी की जाने वाली निर्माण सामग्री की दरें निर्धारित नहीं की गई जबकि इसके लिये Priced Store Ledger तैयार किया जाना अपेक्षित था

(13) एम.ए.एस. तैयार नहीं किया गया

(14) निर्माण कार्यों के समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये।

(15) निर्माण कार्यों की स्थाई सम्पत्ति रजिस्टर में प्रविष्ठियां नहीं की गई

(16) माप पुस्तिकों में रिकार्ड प्रविष्ठियों एवं बिल के अन्त में आवश्यक प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किये गये जिसके अभाव में water bound aggregate अथवा crushed aggregate तथा रोड रोलर के [illegible] किये गये कार्यों [illegible] मस्टर रोल में

(17) की प्रगति रिपोर्ट व उपयोग की गई सामग्री का ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया। किये गये कार्य की माप भी नहीं दर्शाई गई जिससे ज्ञात किया जाता कि भुगतान राशि एवं मस्टर रोल - राशि में भिन्नता तो नहीं है।

(18) विभिन्न संवेदाकारों को जारी दरों के विभागीय औचित्य/एवं विश्लेषण तैयार नहीं किये गये जिससे ज्ञात होता कि दरें कितनी अधिक अथवा कम भरी गई है ताकि नेगोशियेशन तदनुसार की जा सके।

(19) कार्य आवंटन पत्र की शर्त संख्या 4 के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य सम्पन्न न होने पर अनुमानित राशि पर 1% दण्ड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान था जिसे प्रति दिन वसूल किये [illegible] किसी भी मामले में अंकेक्षण अवधि में वसूल नहीं किया गया। अत: कार्यवाही की जावे।

(ग) निर्माण कार्य का निर्माण : रैन बसेरा भवन का निर्माण।

संविदाकार का नाम : श्री धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर
अनुबंध संख्या व तिथि : एम.सी./वर्क्स-११-४१२ तिथि 18.10-2001.
कार्य आरम्भ करने की तिथि : 18-10-2001 (मा०पु० 4 पृ० 13)
कार्य पूर्ण करने की अवधि : छः माह
कार्य पूर्ण करने की तिथि : अभी भी प्रगति पर

नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को केन्द्रीय सरकार के प्रायोजित योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत रैन बसेरा के निर्माण हेतु अनुदान के रूप में धन उपलब्ध करवाया गया है। इसी योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत बद्दी द्वारा रैन बसेरा भवन का निर्माण किया जा रहा है। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के अवलोकन से नीचे दी गई त्रुटियाँ/आपत्तियाँ पाई गई जिनके समाधान हेतु उचित कार्यवाही की जाये।

(1) जिस भूमि पर रैन बसेरा भवन का निर्माण किया जा रहा है यह भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार के कब्जे में है लेकिन अभी तक इसको नगर पंचायत के नाम हस्तान्तरण नहीं करवाया गया जबकि भवन निर्माण कार्य दिनांक 18-10-01 से शुरू किया जा चुका है। इस औपचारिकता के पूर्ण किये बिना कार्य आरम्भ करने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये वांछित कार्यवाही पूर्ण करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(2) रैन बसेरा भवन के कार्य का प्राक्कलन नगर पंचायत बड़ी द्वारा तैयार नहीं किया गया तथा न ही detailed measurement, कार्य स्थल में निष्पादित किये जाने वाले कार्य के लिये की गई। चर्चा में बताया गया कि जो प्राक्कलन नगर पंचायत नालागढ़ के रैन बसेरा भवन के लिये निदेशालय शहरी विकास ने अनुमोदित किया था की समस्त कार्यमात्रा व Specification/drawing के आधार पर DNIT तैयार करके निविदायें आमंत्रित की गई जो कि सर्वथा अनुचित है क्योंकि कार्य स्थल की परिस्थितियाँ भिन्न होने पर तदनुसार प्राक्कलन की मदें तैयार की जानी थी। इसके अलावा प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई जिनके अभाव में कार्य शुरू करने व निष्पादित करने का नियमानुसार औचित्य देते हुये वांछित कार्यवाही पूर्ण करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(3) औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य का आबंटन वर्क अवार्ड पत्र संख्या एन.सी/वर्कस/99-892 दिनांक 18.10.01 को श्री धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर संविदाकार को कार्य की कुल लागत रु० 8,19,529 के लिये किया गया। वर्क अवार्ड पत्र की शर्त संख्या 5 के अनुसार उक्त कार्य को 6 मास के भीतर पूर्ण किया जाना था

निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने की
स्थिति में रू० 250.00 प्रति दिन की दण्ड
प्रभार की वसूली की जानी थी जिसकी
अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई
थी अर्थात् कार्य पूर्ण होने तक यह वसूली
की जानी अपेक्षित थी। अभिलेख के
अवलोकन से पाया गया कि संवेक्षण
अवधि तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया
गया और अभी तक भी प्रगति पर था।
निर्धारित अवधि छः माह दिनांक 18.4.02
थी लेकिन इसके पश्चात् संविदाकार ने
कभी भी समय बढ़ोत्तरी के लिये आवेदन
नहीं किया यद्यपि समय में बढ़ोत्तरी भी
valid एवं तर्कसंगत आधार पर ही स्वीकृत
की जानी थी। आवश्यक औपचारिकताओं
को पूर्ण किये बगैर भुगतान करने का
औचित्य दिया जाये। शर्त संख्या 4 के
अनुसार दिनांक 18.4.02 से 31.3.2005
तक कुल 1077 दिनों के लिये रू० 250.00
दण्ड प्रभार की कुल राशि रू० 2,69,250.00
बनती है जिसकी वसूली ठेकेदार
के बिल से की जानी अपेक्षित है।
अत: इसका प्रतिभूति राशि से समायोजन
किया जाये तथा यदि प्रतिभूति राशि से भी
पूर्ण वसूली न किये जाने की स्थिति में
कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये। अन्यथा
नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी/कर्मचारी इसके
लिये जिम्मेदार होंगे।

(4) श्री धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा उक्त कार्य को समय-अवधि में पूर्ण नहीं किया गया तथा दिनांक 24-3-2003 को स्पेशल पॉवर ऑफ एटॉर्नी के अन्तर्गत रैन बसेरा निर्माण कार्य के अनुबंध को श्री अख्तर पाल सुपुत्र श्री राम जी दास के पक्ष में हस्तान्तरित करवाया गया जबकि ऐसी व्यवस्था करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार पॉवर ऑफ एटॉर्नी हस्तान्तरण को सही मान कर कार्य निष्पादन करवाने का नियमानुसार औचित्य प्रस्तुत किया जाये।

(5) रैन बसेरा निर्माण कार्य के लिये सरकार से मु0 14,67,529 रु0 का अनुदान राशि नगर पंचायत को प्राप्त हुई जिसमें से मु0 7,26,025 रु0 की राशि अब तक व्यय की जा चुकी है। इस अवधि तक व्यय की ... इस प्रकार निर्माण कार्य के लिये धन का अभाव नहीं था लेकिन फिर भी लगभग 5 वर्ष बीत जाने पर भी इस भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया जिससे इसके तैयार करने का उद्देश्य विफल हो जाता है। इसके अलावा मु0 7,26,025 की राशि जो अभी तक व्यय की जा चुकी है, कार्य निश्चित अवधि में पूर्ण न होने के कारण बिना किसी उद्देश्य के ब्लॉक कर दी गई है। अतः अनुदान के उद्देश्य के दृष्टिगत इस कार्य को नियमानुसार शीघ्र निपटाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें तथा जिम्मेवारी निर्धारित करके तदनुसार कार्यवाही की जाये।

(6) **रु० 858 का अधिक भुगतान :**

द्वितीय चालू बिल जिसकी निर्माण इकाईयाँ माप पुस्तिका संख्या 4 पृ० 36-57 पर की गई हैं, की पड़ताल से पाया गया कि नीचे दिये गये मामलों में गलत गणना के कारण रु० 973 रु० का ठेकेदार को भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाये।

मद का ब्योरा	भुगतान मात्रा	भुगतान योग्य मात्रा	दर घनमी०	अधिक भुगतान रु०
खुदाई कार्य	88.89 घनमी०	87.56 घनमी०	70	93
1:6:12 के अनुपात में रोड़ी बिछाना	15.80 घनमी०	15.65 घनमी०	800	120
फॉरम वर्क	517.43 वर्गमी०	517.29 वर्गमी०	90	13
1:1½:3 में रोड़ी बिछाना	53.21 घनमी०	53.13 घनमी०	1900	152
टॉर स्टील आरसीसी कार्य	8060.45 किग्रा०	8060.09 किग्रा०	18	648
ब्रिक वर्क सिमेंट 1:6	40.02 घनमी०	39.99 घनमी०	1300	39
				1065
			Less 19.4% अनुदान	207
				858

(7) ठेकेदार के द्वितीय चालू बिल में नीचे दी गई मदें अतिरिक्त मदों के रूप में निष्पादित करवाई गई लेकिन इनका निष्पादन करवाने तथा भुगतान हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। अतः आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाये अन्यथा अनुचित व्यय की वसूली कार्यवाही अब की जाये उचित स्रोत से की जाये।

क्र०सं०	मद नाम	मात्रा	दर रु०	राशि रु०
1.	कोटिंग इन वार्ड वर्क	319.0 वर्गमी०	49	15,635
2.	वर्टिकल स्लैब ... —	89.12 वर्गमी०	50.75	4,523
3.	1:3:6 में रोड़ी बिछाना	48.44 घनमी०	1145	55,464
4.	ब्रिक मैसनरी	9.8 घनमी०	1255	12,312
				87,934
			Less प्रीमियम 19.4%	17,059
				70,875

(ख) वा० संख्या 10 माह 5/2001 मु० 32862रु०

कार्य का नाम: तालाब को मिट्टी से भरना
संविदाकार का नाम: श्री भेगा सिंह (हिम बिल्डर्स)
अनुबंध संख्या : शून्य तिथि शून्य

उक्त वाउचर द्वारा मु० 32862 रु० का भुगतान श्री भेगा सिंह, संविदाकार को उनके प्रथम एवं अन्तिम बिल के रूप में किया गया था जिसमें नीचे दी गई आपत्तियाँ पाई गई जिनके समाधान हेतु उचित कार्यवाही की जाये।

(1) उक्त कार्य का आकलन तथा पैमाईश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2) टेंडर खोलने की तिथि 19-2-01 निश्चित की गई थी लेकिन दोबारा दिनांक 22-2-01 के लिये दरें आमंत्रित की गई जिसके कारणों से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

(3) वास्तव में कार्य तालाब में मिट्टी/रेत भरने का था जबकि माप पुस्तिका एवं बिल में मिट्टी की खुदाई की मद हेतु भुगतान किया गया। मिट्टी कहाँ खोदी गई इसका अभिलेख में कहीं उल्लेख नहीं किया गया। चर्चा में बताया गया कि मिट्टी की खुदाई की मात्रा तालाब में भरी गई मिट्टी

ही दर्शाई गई जो अनुचित है क्योंकि खोदाई तथा भराई के volume में अन्तर है।

(4) मिट्टी को 4 कि०मी० की दूरी से mechanical transport के माध्यम से लाया दर्शा कर भुगतान किया गया लेकिन भुगतान से पूर्व दूरी की लीड व स्थान का उल्लेख नहीं किया गया कि जहाँ से मिट्टी लाई गई। इस प्रकार भुगतान के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

(5) उक्त कार्य के लिये केवल Filling का ही कार्य किया जाना अपेक्षित था जबकि खुदाई के कार्य का कोई औचित्य नहीं बनता। अतः वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाये।

(6) Filling को मद अतिरिक्त मद के रूप में निष्पादित करवाई गई लेकिन इसके दर विश्लेषण तैयार नहीं किये गये। अतः आवश्यक कार्यवाही सब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये

(7) मु० 671 रु० बिक्री कर की कटौती न करके संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाये

(ग) वा० संख्या 21 माह 5/2011 रु० 15810.00

उक्त वाउचर द्वारा रु० 15810.00 का भुगतान मस्टर नं 1 के लिये किया दर्शाया गया। मस्टर रोल का अवलोकन करने पर पाया गया कि माह 5/11 में मस्टर रोल पर कुल 10 मजदूर तैनात किये गये जिनके वार्ड नं 8 व 9 में पानी के स्रोतों की सफाई व झाड़ियाँ काटने का कार्य किया दर्शाया गया लेकिन किये गये कार्य की पैमाईश माप पुस्तिका में नहीं की गई तथा न ही progress of work done की detail मस्टर रोल में दर्ज की गई जिसके अभाव में किये गये भुगतान के सही होने की पुष्टि संप्रेक्षण में नहीं की गई। अतः वांछित / सुनिश्चित कार्यवाही अब इसके अनुपालना आगामी संप्रेक्षण में दिखाई जावे अन्यथा रु० 15810.00 की वसूली उचित स्रोत से की जावे।

(वा) वा० संख्या 14 माह 3/02 मु० 1,92,253 रू०

युक्त वाउचर द्वारा सब्जी मण्डी से भरद्वाज अस्पताल के लिये गली कुछ्छा कार्य हेतु श्री विजय कुमार संविदाकार को भुगतान किया गया। भुगतान वाउचर की पड़ताल करने पर नीचे दी गई आपत्तियाँ पाई गई जिनके समाधान हेतु उचित कार्यवाही की जाये।

(1) उक्त कार्य का प्राक्कलन मु० 1,60,000 रू० के लिये तैयार किया गया जिसके लिये सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जो अब प्राप्त की जाये।

(2) प्रथम चलत बिल तक मु० 2,20,330 रू० की लागत का कार्य किया जा चुका था लेकिन विचलनता की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जबकि नियमानुसार कार्य निष्पादित करने से पूर्व इसे प्राप्त किया जाना अनिवार्य था। अतः आवश्यक कार्यवाही अब की जाये।

(3) प्रथम बिल में करवाई गई अतिरिक्त मद की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई तथा न ही दर विश्लेषण तैयार किये गये।

(4) उक्त कार्य के लिये टेंडर नोटिस दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करवाया गया जिसका ठोस तथ्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके त्रुटि का नियमितिकरण करवाया जाये अन्यथा जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए तदानुसार कार्यवाही की जाये।

(I) रू० 4,955 रू० का अधिक भुगतान :

निर्माण कार्यों के भुगतान वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि नीचे दिये गये मामलों में "cutting in earth work" आदि निष्पादित कार्यों के लिये संविदाकारों को प्रीमियम पर भुगतान किया गया जिसमें दर फिक वर्क 34.30 (लेबर रेट) तथा अदर वर्क 84.90 (थ्रू रेट) में किया गया जबकि "Excavation in foundation, trenches etc." में यह दरें लेबर रेट में ही derive की गई। इस प्रकार "कटिंग इन अर्थ वर्क" कार्य के लिये रू० 52.15 प्रति घ०मी० की दर से भुगतान किया जाना अपेक्षित था जबकि यह रू० 59.55 रू० प्रति घ०मी० की दर से नीचे दिये गये मामलों में संविदाकारों को अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बंधित से करके जानकारी कार्यवाही की जाये। दरों के भुगतान में विभिन्न माप-दण्डों के अपनाने का भी औचित्य दिया जाये।

वा० संख्या व मास	कार्य का नाम	मात्रा	देय राशि रू०	भुगतान राशि रू०	अधिक भुगतान रू०
मास 3/02	वार्ड नं. 3 में सड़क फिलिंग कार्य	63.80 घ०मी०	3394	3875	481
—"—	—"—	28.66 घ०मी०	1517	1696	179
2 —"—	वार्ड नं. 8 व 9 में नाली निर्माण कार्य	34.88 घ०मी०	1837	2098	261
3 —"—	वार्ड नं. 3 में नाली निर्माण कार्य	57.08 घ०मी०	3006	3432	427
—"— —"—	—"—	53.34 घ०मी०	2820	3220	400
मास 7/02	वार्ड नं. 6 में सड़क कार्य	71.35	3795	4334	539
—"—	—"—	12.83	682	779	97
1 मास 7/02	वार्ड नं. 3 में नाली पक्का करने का कार्य	48.48	2579	2945	366

12 मास 1/03	वार्ड नं. 9 में सड़क पक्का करने का काम	38.50 वर्ग मी०	2168	2476	308
— " —	— " —	38.50 वर्ग मी०	2168	2476	308
14 मास 1/03	वार्ड नं. 3 में नाली निर्माण कार्य	11.19 वर्ग मी०	613	700	87
40 — " —	वार्ड नं. 1 - यथोपरि -	44.82 वर्ग मी०	2407	2749	342
9 मास 7/05	वार्ड नं. 1 में आंगनबाड़ी केन्द्र शौचालय का निर्माण	1.4 वर्ग मी०	57	66	9
23 मास 7/03	वार्ड नं. 3 में सड़क पक्का करने का कार्य	134.40 वर्ग मी०	7570	8644	1074
25 मास 3/05	वार्ड नं. 3 की सरोवर के किनारे घाट में सीढ़ी निर्माण	9.80 वर्ग मी०	542	619	77
					4955

(ग) वा० संख्या 21 मास 7/2002 64- मु० 3,80,988 ₹

उक्त वाउचर द्वारा रु० 3,80,988 रु० का भुगतान श्री विजय कुमार, संविदाकार को नीचे दिये गये चलत बिलों के रूप में किया गया जिनकी पड़ताल करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ। त्रुटियाँ पाई गई जिनके समाधान हेतु उचित कार्यवाही की जाये।

क्र० संख्या	कार्य का नाम	राशि
1.	सब्जी मण्डी मार्किट से हिमालयन संचार तक विद्युतीकरण व्यवस्था करना	1,33,116
2.	—"—	1,40,081
3.	नालागढ़ पिंजौर रोड से स्टेट बैंक ब्रांच बद्दियाला तक बिजली व्यवस्था करना	1,07,789

(1) उपरोक्त तीनों कार्यों की निविदायें दिनांक 16-5-2002 को आमंत्रित की दर्शाई गई जिसके अन्तर्गत विजय कुमार, फर्म, श्री कन्सट्रक्शन क० फर्म, सुरेश कुमार फर्म, श्री राम इलैक्ट्रिकल बद्दियाला तथा रोहित चोपड़ा इलैक्ट्रिकल नाहन को टेंडर नोटिस की प्राप्ति की गई जो कि नियमों के प्रतिकूल है क्योंकि इतनी लागत के कार्यों की दरें प्रमुख समाचार पत्रों तथा विभिन्न माध्यम पर आमंत्रित की जानी अपेक्षित थी। इस प्रक्रिया को अपनाने से स्वत: स्पष्ट होता है कि फर्म विशेष को कार्य आबंटन करने के उद्देश्य से यह सब किया गया। इसके अलावा यह भी पाया गया कि तीनों कार्य एक ही संविदाकार से करवाये गये तथा दरें अनौपचारिक तौर पर कार्यालय में दी गई प्राप्त लिफाफे डाक द्वारा प्राप्त नहीं हुये।

(2) क्रम संख्या 1 व 2 पर दर्शाये कार्य एक ही स्थल पर निष्पादित करवाये गये जिन्हें आवश्यक औपचारिकताओं से बचने के लिये अलग-2 (split up) किया गया जो कि नियमों के विरुद्ध है।

(3) सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

(4) संविदाकारों की दरों के संदर्भ में विभागीय औचित्य तैयार नहीं किया गया।

(5) कार्यों के प्राक्कलन में दरें बाज़ार दर से बनाई गई लेकिन सक्षम अभियन्ता द्वारा बाज़ार दरों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। समस्त मदों को बाज़ार दरों से निकालने का औचित्य भी दिया जावे।

(6) तीनों बिलों की देय राशि रु० 380954 बनती थी जबकि भुगतान रु० 380980 करके रु० 26 का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(7) तीनों कार्यों की मद संख्या 1 में 9.00 मी० पोल स्थापित किये जाने थे जबकि वास्तव में 7.00 मी० लम्बे पोल स्थापित किये गये लेकिन सक्षम अधिकारी से संशोधित प्राक्कलन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। इसके अलावा इस मद की दर से सम्बंधित नेगोशियेशन आदि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

(डी) वा० संख्या 22 मास 3/02 मु० 30719 रु०

उक्त वाऊचर द्वारा वार्ड नं. 8 व 9 में Pavement of street कार्य के लिये संविदाकार को भुगतान किया गया जिसमें "cutting in earth work" कार्य की निष्पादित मात्रा 34.38 घन मी० बनती थी जबकि गलत गणना के कारण 34.38 घ० मी० के लिये गणना करके मु० 318 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जावे।

(जे) वा० संख्या 23 मास 7/2002 मु० 86198 रु०

मु० 28 रु० का अधिक भुगतान:

उक्त वाऊचर द्वारा वार्ड नं. 6 में सड़क पक्का करने के कार्य हेतु भुगतान किया गया जिसमें मद संख्या 2 "Excavation in earth work" की देय राशि मु० 15304 रु० बनती थी जबकि भुगतान 15332 रु० करके मु० 28 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाई जावे।

इसके अलावा उक्त वाऊचर के अन्तर्गत किये गये भुगतान के कार्यों को split-up करने का औचित्य प्रस्तुत करते हुये व औपचारिकताओं को टालने का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जावे।

(७) निर्माण कार्यों के लिये निविदायें आमंत्रित करने के

अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के लिये निविदायें केवल औपचारिकता को पूर्ण करने के उद्देश्य से ही आमंत्रित की दर्शाई गई। रु० 50,000 रु से अधिक अनुमानित राशि के कार्यों के लिये टेंडर नोटिस प्रदेशीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित था ताकि अधिक से अधिक प्रतियोगी संविदाकार भाग लेते व दर प्रतियोगिता से नगर पंचायत को लाभ होता। लेकिन इस दिशा में नियमों एवं अनुदेशों को नजर अंदाज करके स्थानीय संविदाकारों को टेंडर नोटिस की प्रतियाँ जारी करके दरें आमंत्रित की गई जो कि नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के प्रतिकूल है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है कि जो कार्यवाही उचित समझी जाये, की जाये तथा भविष्य में इस त्रुटि को न दोहराया जाये।

निविदायें आमंत्रित करने की तिथि	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित राशि रु०
31-12-01	वार्ड नं. 3 में सड़क पक्की करने का कार्य	66,459
-"-	वार्ड नं. 8 में गली निर्माण कार्य	1,15,300
-"-	वार्ड नं. 3 में गली निर्माण कार्य	65,700
-"-	वार्ड नं. 6 में सड़क पक्की करने का कार्य	81,700
-"-	-"-	86,700
-"-	वार्ड नं. 4 व 5 में नालियाँ साफ करने का कार्य	70,200
-"-	-"-	39,300
-"-	वार्ड नं. 3,4 व 5 बस अड्डे में नाले का निर्माण प्रथम चरण	88,300

3-12-01	बस अड्डे में नाले का निर्माण कार्य द्वितीय चरण	88,500
—"—	—"— द्वितीय चरण	88,500
—"—	वार्ड नं. 3 में विद्युत कार्य	70,000
—"—	गली प्रकाश विद्युत कार्य	1,60,000
—"—	—"—	1,75,000
8-2-2002	बस अड्डे में दुकान निर्माण	41,500
—"—	वार्ड नं. 8 व 9 में सड़क पक्का करने का कार्य	92,250
—"—	वार्ड नं. 9 —"—	73,000
—"—	वार्ड नं. 3 में गली निर्माण कार्य	99,400
—"—	बस अड्डे में गली निर्माण कार्य	51,980
—"—	वार्ड नं. 7 में ड्रेन बनाने का कार्य	96,300
—"—	वार्ड नं. 3 में गली निर्माण कार्य	99,400
—"—	वार्ड नं. 4 व 5 में रिटेनिंग वॉल कार्य	92,500
—"—	वार्ड नं. 1 में गली निर्माण कार्य	92,000
—"—	वार्ड नं. 8 व 9 में गली निर्माण कार्य	74000
16-5-2002	सब्जी मण्डी से हिमालयन संचार तक बिजली व्यवस्था (प्रथम चरण)	1,79,300
—"—	—"— (द्वितीय चरण)	1,69,500
—"—	नालागढ़ पिंजौर रोड़ से पी.एच.सी. नंड्डा तक बिजली व्यवस्था	1,45,701
13-11-02	रामबाग घाट में वर्षा शालिका का निर्माण / रामबाग घाट में बाउंड्री वॉल का कार्य	61,480 / 96,960
—"—	रामबाग घाट	74675
—"—	सड़क पक्की करने का कार्य	74675
—"—	—"—	
—"—	तालाब को मिट्टी से भरना	50105
—"—	वार्ड नं. 3 में नालियों का काम	41071 / 59333
—"—	—"—	

9-10-02	सड़क पक्की करने का कार्य	93,300
—"—	—"—	76,250
—"—	—"—	97,769
—"—	—"—	97,769
—"—	गली प्रकाश व्यवस्था करना	96,300
—"—	—"—	99,275
—"—	—"—	96,000
—"—	—"—	92,200
—"—	बड़ोबरेहिमाला रोड से जुड़ी कर्वा तक सड़क पक्की करने का कार्य चरण-I	92,200
—"—	—"— चरण-II	92,200
—"—	रिटेनिंग वाल लगाना	63,500
13-11-02	श्मशान घाट में वर्षा शालिका निर्माण	61,430
—"—	बाउँड्री वॉल निर्माण कार्य	96,960
—"—	सड़क पक्की करने का कार्य	74,675
—"—	—"—	74,675
—"—	तालाब को गहरे व लैवल करने का कार्य	50,105
—"—	पैवमेंट ऑफ स्ट्रीट वार्ड नं. 3	59,333
27-12-02	नाली का निर्माण	99,670
—"—	—"—	99,670
—"—	—"—	99,670
—"—	वार्ड नं. 7 में कल्वर्ट निर्माण कार्य	52,000
—"—	वार्ड नं. 6 में सड़क पक्की करने का कार्य	70,137
—"—	—"—	70,137
—"—	Pavement of street वार्ड नं. 8	44,829
—"—	—"—	37,084
—"—	—"— वार्ड नं. 1	98,750
—"—	रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य	96,831
—"—	—"—	96,831
—"—	गड्ढा खोदने का कार्य	50,000
—"—	पैवमेंट ऑफ स्ट्रीट, वार्ड नं. 1	66,500
—"—	सामुदायिक भवन का निर्माण	96,000
—"—	सार्वजनिक शौचालय निर्माण वार्ड नं. 1	75,000
—"—	वार्ड नं. 2 में मैदान को भरना .. प्रथम चरण	90,000
—"—	—"— द्वितीय चरण ..	90,000

10-1-2005	कलवर्ट निर्माण कार्य वार्ड नं. 1		87504
-"-	वार्ड नं. 8 व 9 में पार्क निर्माण कार्य		98215
-"-	वार्ड नं. 7 में ड्रेन निर्माण कार्य		97184
-"-	वार्ड नं. 8 व 7 में	-"-	66505
-"-	वार्ड नं. 7 में नाले का निर्माण		94632
-"-			

(ञ) मु० 7750 रु० का अधिक भुगतान :

नीचे दिये गये मामलों में सड़क में कोलतार बिछाने का कार्य निष्पादित करवाया गया। भुगतान बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि कोलतार नगर पंचायत के भण्डार से जारी किया गया जिसे टेंडर नोटिस में भी विभाग द्वारा जारी किया जाना था जिसके लिये मु० 2500 रु० प्रति ड्रम की दर से संविदाकार के बिलों से कटौती की जानी थी तथा निविदा में स्पष्ट रूप से कटौती दर दी गई थी लेकिन भुगतान करते समय मु० 2250 रु० प्रति ड्रम की दर से कटौती करके मु० 7,750 रु० का संविदाकारों को अधिक भुगतान किया गया जिसको वसूली करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाई जाये।

वा० संख्या व मास	कार्य का नाम	मात्रा	कटौती योग्य राशि	कटौती राशि	अधिक भुगतान
			रु०	रु०	रु०
22 मार्च 7/02	वार्ड नं. 3 व 4 में कोलतार बिछाने का कार्य	12 ड्रम	30,000	27000	3000
6 मार्च 6/02	वार्ड नं. 9 में धर्म-कांटा से प्राथमिक पाठशाला तक	19 ड्रम	47500	42750	4750
				योग	7750

(8) वा० संख्या 29 मास 7/02 मु० 26492 रु०

उक्त वाउचर द्वारा वार्ड नं. 3 में 'Pavement of Street' कार्य के लिये भुगतान किया गया जिसकी पड़ताल करने पर पाया गया कि इस कार्य का प्राक्कलन मु० 41,836 रु० के लिये अनुमोदित किया गया था लेकिन अन्तिम बिल तक कार्य की कुल लागत मु० 63500 रु० बनी जो प्राक्कलन से 26.52% ऊपर है। इस प्रकार संशोधित प्राक्कलन का अनुमोदन किया जाना अनिवार्य था तथा विचलनता (Deviation) का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन किया जाना भी अपेक्षित था जो नहीं करवाया गया। अनुमोदन के अभाव में इस प्रकार किये गये भुगतान का औचित्य दिया जाये तथा आवश्यक कार्यवाही कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

इसी प्रकार वाउचर संख्या 30 मास 7/02 के अन्तर्गत किये गये भुगतान के लिये भी Deviation का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(8) कार्य संख्या 17 मास 7/02 मु० 12978 रु०

मु० 546 रु० का अधिक भुगतान।

मु० 12978 रु० का भुगतान श्री राम दीप सिंह, संविदाकार को नीचे दी गई मद के निष्पादन हेतु किया गया :-

"Steel work welded in built up sections, trusses and framed work including cutting hoisting, fixing in position and applying a priming coat of red lead paint in grating framed guard, ladders railing, brackets and similar work"

भुगतान बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि प्रथम एवं अन्तिम बिल में आयकर एवं बिक्री कर की कटौती न करके मु० 546 रु० का संविदाकार को अधिक भुगतान किया जिसकी वसूली सम्बंधित से करके जमा कराई जाये।

5) वा० संख्या 10 मास 11/03 मु० 49441 रू०

मु० 18623 रू० का अनुचित भुगतान :

उक्त वाऊचर द्वारा मु० 49441 रू० का भुगतान श्री गुरमीत सिंह, संविदाकार को वार्ड नं. 8 व 9 में बाबा बालक नाथ मन्दिर के समीप तालाब को मिट्टी से भरने के लिये किया गया भुगतान बिल तथा अन्य तर्क संगत अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त बिल में मिट्टी की खुदाई की मद के लिये भुगतान किया दर्शाया गया जबकि कार्य तालाब को मिट्टी से भरने का था। इस प्रकार मिट्टी की खुदाई तथा इसके निपटारे हेतु किये भुगतान का कोई भी औचित्य कार्य की दृष्टि से नहीं बनता जिसके लिये मु० 18623 रू० (1808 + 3% प्रीमियम) का अनुचित रूप से भुगतान किया दर्शाया गया अतः मु० 18623 रू० की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(8) वाउ संख्या 11 मास 1/03 मु० 2,95,856 रु०
वाउ संख्या 28 मास 1/03 मु० 1,38,760 रु०

प्रथम उक्त वाउचर द्वारा मु० 2,95,856 रु० का भुगतान मै० अशोका ट्रेडिंग कं० फना को लाज धर्म कांटा से पिल्लां वाली लबाना चरण दो व तीन के लिये गली प्रकाश हेतु किया गया। पड़ताल करने पर नीचे दी गई अनियमितताये। त्रुटियाँ पाई गई जिनके समाधान हेतु उचित कार्यवाही की जाये।

(1) उक्त कार्य का प्राक्कलन तैयार करते समय एक ही कार्य को तीन चरणों में विभाजित करके तैयार किया गया जो इस प्रकार है-

1. Providing street light system from Laj Dharam Kanta to Vill. Pillanwali Labana Phase - I 96,300

2. —do— Phase - II ... 99,235

3. —do— Phase - III 96,000

इस कार्य को तीन चरणों में विभाजित करने का ठोस तथ्यों सहित औचित्य दिया जाये तथा सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाये।

(2) निविदायें आमंत्रित करने के लिये गिरिराज के साथ-2 क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित था ताकि अधिक से अधिक संविदाकार भाग लेते ~~तथा~~ न्यूनतम दरों पर कार्य आवंटित किया जाता। जबकि टेंडर नोटिस गिरिराज में ही प्रकाशित करवाया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि संविदाकार विशेष को लाभ / कार्य देने हेतु इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अपनाया नहीं गया। उक्त औचित्य दिया जाये

गिरिराज के पुत्रों शर्मा 23 मई इंडर सोहिस्ट की बिल्डिंग के बदलने का स्पष्टीकरण दिया जावे तथा इसकी जांच करवाई जावे।

(3) प्राक्कलन के साथ मदों की दरों के विश्लेषण मद संख्या 1 के अलावा अन्य सभी मदों के तैयार नहीं किये गये। मद संख्या 1 की दरों को बाजार दर से निकाला गया जबकि यह दर अनुसूचि की दर थी। वस्तुओं की कीमतों के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जाना था, नहीं दिया गया। अतः आवश्यक कार्यवाही अब की जावे।

(4) कार्य निष्पादित करते समय अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया गया लेकिन इनकी दरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया तथा न ही दर विश्लेषण तैयार किये गये जिसके अभाव में किये गये भुगतान दरों के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आवश्यक कार्यवाही अब की जावे।

(5) उपरोक्त तीनों कार्यों में अत्यधिक विचलनता (Deviation) पाई गई जिसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया। अनुमोदन के बिना किये गये भुगतानों का स्पष्टीकरण दिया जावे। यह मामला उच्च प्राधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है। यह deviation प्रथम चलत बिल तक थी, अन्तिम भुगतानों के दृष्टिगत आगामी कार्यवाही की जावे।

काम का नाम	आंकलन लागत राशि रु०	निष्पादित लागत राशि रु०	अन्तर रु०
गली प्रकाश व्यवस्था प्रथम चरण	96,300	1,77,730	81,420
—यथो०- चरण-दो	99,235	1,59,337	60,102
—यथो० .-चरण-तीन	96,000	1,62,054	66,054

(ग) वा० संख्या 22 माह 1/03 मु० 74,577 रु०
मु० 2,433 रु० का अधिक भुगतान;

उक्त वाउचर द्वारा श्री गुरमीत सिंह, संविदाकार को ग्राम खानपुर ढीकलपुर में बाउँडरी वॉल निर्माण कार्य हेतु प्रथम चलत बिल के रूप में भुगतान किया गया। माप पुस्तिका में रिकॉर्ड की गई प्रविष्टियों से ज्ञात होता है कि एक दीवार जिसकी लम्बाई 25.22 मी० थी तथा जिसके लिये खुदाई 25.22 मी० लम्बाई, आर. आर. मेसनरी 25.22 मी० लम्बाई, के लिये डी.पी.सी 25.22 मी० लम्बाई जबकि ब्रिक वर्क कार्य किये गये में यह लम्बाई 27.13 मी० दर्शा कर संविदाकार को भुगतान किया गया जो उचित नहीं है। इस प्रकार 1.91 मी० के लिये मु० 1261.10 तथा इस पर 1.1. प्रीमियम की दर से मु० 2433 रु० का संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बंधित से करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाई जाये तथा कृत कार्यवाही का सत्यापन आगामी सम्प्रेक्षण में करवाया जाये।

(7) वा० संख्या 28 माह 11/03 मु० 69829 रु०

मु० 1972 रु० का अधिक भुगतान।

उक्त भुगतान वाउचर की पड़ताल करने पर नीचे दी गई त्रुटियाँ/कमियाँ पाई गई जिनके समाधान हेतु उचित कार्यवाही की जावे।

(1) मद 1:2:4 (20 mm) के लिये प्रथम बिल में मु० 1615.40 रु० प्रति घ० मी० की दर से भुगतान किया गया तथा दूसरे बिल (इसी वाउचर में) इसी कार्य के संविदाकार को मु० 1708.40 रु० की दर से भुगतान किया गया जबकि D.N.I.T. के Schedule of quantity में यह कार्य 1:2:4 (40 mm) के अनुपात में किया जाना था जिसके लिये ठेकेदार ने दरें दी थी। इस प्रकार इस मद के लिये दोनों बिलों में मु० 1386 रु० (प्रीमियम सहित) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके जमा करवाई जावे।

(2) ब्रिक बैट के लिये प्रथम बिल में मु० 1361 रु० प्रति घ० मी० की दर से भुगतान किया गया जबकि दूसरे बिल में इसी कार्य के लिये इसी ठेकेदार को मु० 1264 रु० प्रति घ० मी० की दर से भुगतान किया गया जो कि 1:6 के लिये दिया गया तथा माप पुस्तिका 8 के पृ० 8-9 में रिकार्ड प्रविष्टी के अनुसार भी यह कार्य 1:6 में ही निष्पादित करवाया गया था। इस प्रकार इस मद के लिये मु० 586 रु० का अधिक भुगतान किया गया तथा दोनों मामलों में कुल मु० 1972 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जावे।

(3) उक्त दोनों बिलों को Splitup करके एक ही संविदाकार को भुगतान करने से निविदा प्रक्रिया से बचा गया इस की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके इस की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी की करवाया जावे।

[illegible]

(9) वा० संख्या 24 माह 11/03 रु० 2,36,248.00

रु० 16,590.00 का अधिक भुगतान।

उक्त भुगतान वाउचर की पड़ताल करने पर नीचे दी गई त्रुटियाँ/खामियाँ पाई गई जिनके निपटारे हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(1) एक ही कार्य को तीन भागों में बांटकर एक ही संविदाकार को आवंटित करने का औचित्य देते हुये इस त्रुटि का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाते हुए नियमितिकरण करवाया जावे।

(2) उक्त वाउचर के साथ संलग्न तीनों बिलों की मद ब्रिक वर्क के लिये रु० 1365.00 की दर से भुगतान किया गया जिसे 1:4 के अनुपात में निष्पादित करवाया दर्शाया गया जबकि इसी प्रकार के कार्य के लिये वा० संख्या 28 माह 11/03 के साथ संलग्न बिल नं. 2 में इसकी दर रु० 1261.10 प्रति घ० मीटर की थी जो कि 1:6 के अनुपात से निष्पादित करवाई गई थी जो कि वास्तव में उचित है। इस प्रकार तीनों बिलों में रु० 14257.00 का अधिक भुगतान ठेकेदार (प्रीमियम सहित) को किया गया जिसकी वसूली की जावे।

(3) मद 1:2:4 (20एम एम) के लिये रु० 1708.40 की दर से भुगतान किया गया जबकि इसी प्रकार की मद के लिये वा० संख्या 28 माह 11/03 में 1:2:4 (40एम एम) के लिये रु० 1592.00 प्रति घ० मीटर की दर से भुगतान किया गया। प्रायः कार्यों में Concrete कार्य में 1:2:4 (40एम.एम.) का ही प्रयोग होता है। अतः 20एम.एम. रोड़ी के लिये भुगतान दरों का औचित्य दिया जावे अन्यथा रु० 2333.00 की वसूली की जावे।

(4) तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

(5) मूल्यांकन का प्रमाणीकरण नहीं करवाया गया।

(द) वा० संख्या 10 मास 7/03 रु० 45709.00

रु० 45709.00 का भुगतान श्री संजीव
कुमार ठेकेदार को वार्ड नं 9 में रिटेनिंग वॉल
के पीछे भराई करने एवं मैदान को समतल
करने के कार्य हेतु किया दर्शाया
गया। उक्त कार्य के लिये नीचे दी
गई दो मदों का कार्य निष्पादित
किया गया

(i) Excavation in earth work and banking in 20cm layers including breaking clods ramming and dressing of ground for the purpose of making embankment.

(ii) Carriage of excavated earth by mechanical transportation upto a lead of 2 km.

प्राक्कलन के अवलोकन से पाया
गया कि गड्ढे में मिट्टी भरने का
कार्य किया जाना था जिसके लिये
निविदायें आमंत्रित की जानी अपेक्षित थी
लेकिन इसके विपरीत मिट्टी खोदने का
कार्य किया दर्शाया गया जिसका
औचित्य, किये जाने वाले कार्य के आधार
पर दिया जाये। इसके अलावा मिट्टी
ढुलाई के लिये 2 कि०मी० लीड के लिये
भुगतान किया गया। उपरोक्त दोनों मदों
का कार्य वास्तविक किये जाने वाले कार्य
से मेल नहीं रखता क्योंकि भराई के
कार्य के लिये मिट्टी खोदने का कोई
औचित्य नहीं बनता। लीड के समर्थन में
स्थल का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है
इस प्रकार यह जाना उचित प्रतीत
नहीं होता। अतः वस्तुस्थिति और आवश्यक
करवाया जाये अन्यथा अनुचित व्यय की वसूली की जाये

(ख) निर्माण कार्य : वार्ड नं. 9 में आर.डी. 0 से 1000 तक सड़क पक्की करने का कार्य

संविदाकार का नाम : श्री गुरमीत सिंह

वर्क एवार्ड पत्र संख्या : 1161 - 64 दिनांक 1-5-03

कार्य आरम्भ करने की तिथि : 1-5-2003.

प्रविष्टी दर्ज करने की तिथि : 2-7-2003.

वार्ड नं. 9 में सड़क पक्की करने के कार्य हेतु आर.डी. 0 से 1000 मी० कुल पांच प्राक्कलन तैयार किये जो जिनका विवरण नीचे दिया गया है। एक प्राक्कलन के स्थान पर पांच प्राक्कलन तैयार करने का कोई तथ्यों सहित अंकित किया गया।

कार्य का नाम	आर.डी. संख्या	अनुमानित लागत
C/o Mettalling of Road from Laj Dharam Kanta to Housing Board Colony Phase-I & II.	0 से 200 मी०	94178
—यथोपरि—	200 से 400 मी०	94178
—यथोपरि—	400 से 600 मी०	94178
—यथोपरि—	600 से 800 मी०	94178
—यथोपरि—	800 से 1000 मी०	94178

उपरोक्त पांच कार्यों को एक ही ठेकेदार को आवंटित किया गया। यदि इन कार्यों को split up न किया होता तो कार्य की अनुमानित लागत रू० 470890 बनती थी जिसके लिये नियमानुसार निविदायें आमंत्रित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्ही औपचारिकताओं से बचने के लिये रू० 4,70,890 के कार्य को split up करके पांच भागों में विभाजित किया गया जो कि

अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। औपचारिकता पूर्ण करने के उद्देश्य से दिनांक (दर्शाई नहीं गई) को टैंडर नोटिस पत्र संख्या एन.पी./बड़ी/टैंडर/2003 द्वारा दरें आमंत्रित की गई। नोटिस की प्रतियाँ, नोटिस बोर्ड, अधिशासी अभियन्ता, नालागढ़, सोलन, परवानू तथा छः स्थानीय ठेकेदारों को जारी की दर्शाई गई जबकि गिरिराज, क्षेत्रीय समाचार पत्रों आदि में टैंडर नोटिस प्रकाशित करके निविदायें आमंत्रित की जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों/अनुदेशों की अनदेखी करने के लिये सम्बन्धित कर्मचारी की जिम्मेवारी निर्धारित करके तदानुसार कार्यवाही की जाये अथवा सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये।

मास 11/03 में वाउचर संख्या 12 द्वारा पांच चलत बिलों का भुगतान श्री गुरमीत सिंह ठेकेदार को कुल रु० 1,44,500 रु० के लिये किया गया जिनमें एक ही मद 'Wearing Coat with broken stone aggregate... का निष्पादन किया गया। प्रथम चलत बिल तक एक ही मद के निष्पादन में रु० 31,870 रु० का deviation हो चुकी थी लेकिन सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया यद्यपि बिलों का भुगतान ठेकेदारों को कर दिया गया जिसका स्पष्टीकरण/औचित्य नियमानुसार प्रस्तुत किया जाये।

तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई जिसके बिना आरम्भ किये कार्य का नियमानुसार औचित्य दिया जाये तथा आवश्यक कार्यवाही तय की जाये।

(ग) वाउ संख्या 15 मास 7/03 मु० 37762 रु०

मु० 4772 रु० का अधिक भुगतान:

उक्त वाउचर द्वारा वार्ड नं० 1 "हरिजन बस्ति" में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु श्री विक्रमजीत ठेकेदार को भुगतान किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि ठेकेदार से अनुबंध 250% प्रीमियम पर किया गया था। नीचे दी गई मदों के निष्पादन के लिये दर अनुसूचि में दी गई दरों से अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बंधित ठेकेदार अथवा कर्मचारी से करके तथा कार्यवाई जावे।

मद नाम	मात्रा	भुगतान योग्य दर रु०	भुगतान दर रु०	अन्तर राशि रु०	प्रीमियम राशि रु०	अधिक भुगतान रु०
P/F C.P. stop cock 15 mm nominal size	10	31-95	90-55	586	1465	2051
Jointing lead caulked and spun yarn on G.I. pipe & fittings ... [illegible] nominal size	11	13-30	34-05	228	570	798
P/F cast iron spun fittings [illegible] accessories ... [illegible] required degree with and access ... size	1.	43-70	55	11	28	39
P/F C.I. Cowl of 100mm dia nominal size	1.	33	40-30	7	18	25
P/F M.S. Sheet storage tank 1000 liter (size 1200 x ... mm) thickness of ... 2.50 mm manhole ... fitted with flanges ... fittings etc. complete	1	1750	2281-30	531	1328	1859
					योग:	4772

(घ) वा० संख्या 25 मास 3/04 रू० 2,76,830 रु०:
रू० 5568 रू० का अधिक भुगतान।

उक्त वाउचर द्वारा श्री विजय कुमार ठेकेदार को कार्य "Providing and laying street light system from Sabzi Mandi to Suraj Majra Gujjran in Industrial area in ward No. 4 Phase-I and Phase-II" के दो बिलों के रूप में किया गया। पड़ताल करने पर नीचे दी गई त्रुटियाँ। आपत्तियाँ पाई गई जिनके समाधान हेतु उचित कार्यवाही की जाये

(1) उपरोक्त कार्य के लिये नीचे दी गई जिन मदों के लिये भुगतान किया गया, उनकी दरें अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) पालमपुर द्वारा कम अनुमोदित की गई थी जिसके कारण संविदाकार को रू० 5568 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः अधिक भुगतान का औचित्य अनुमोदित दरों के दृष्टिगत दिया जाये अन्यथा वसूली उचित स्रोत से की जाये।

मद नाम	मात्रा	भुगतान दर प्रत्येक रु०	अनुमोदित दर प्रत्येक रु०	अधिक भुगतान रु०
P/F 50 mm dia G.I. Pipe medium class neck suitable for fixing 150 Wts. street light fitting the G.I Pipe neck to be welded on 100 mm G.I. Pipe 30 cm. long to be fixed with M.S. nuts and bolts on the existing poll completed in all respect including carriage of material within all leads and lifts	9+8	490	450	680

S/E of main road lighting lantern consisting of single piece cast aluminium housing complete with accessories for tubular 150 watts HPSV lamp pot type reflector with ALGLASS coating frosting above lamp clear acrylic cover and 5 No. stainless steel toggles Bajaj make BGEST 250 volts on the existing pole of 7 mtr. etc.---	9+8	5600	5504	1632
S/E of HPSV tublar GES clear lamp 150 watts in the existing fittings testing etc. as required complete in all respects including carriage of material within all leads and lifts.	9+8	740	732	136
Supplying and laying of 50 mm dia G.I. pipe medium class for road crossing, cutting threading etc.	19 mtrs.+29	295	230	3800

कुल योग: 5568

(m) वा० संख्या 23 मास 3/04 मु० 64088 रू०

मु० 647रू० का अधिक भुगतान:

श्री भजन सिंह ठेकेदार को उक्त वाउचर द्वारा आवास बोर्ड कालोनी चरण-3 से नौगजा पीर तक पेवमेंट ऑफ स्ट्रीट कार्य के बिल हेतु भुगतान किया गया जिसमें मद "Providing and laying सिमेंट कनक्रीट 1:2:4 (20 mm nominal size) जिसकी मात्रा 1.28 घ० मी० थी, के लिये मु० 1751.90 रू० प्रति घ० मी० तथा उस पर 3% प्रीमियम की दर से भुगतान-योग्य राशि मु० 2309रू० बनती थी जबकि गलत गणना के कारण भुगतान मु० 2956रू० करके मु० 647रू० का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाई जावे।

(ब) वा० संख्या 16 मास 3/04 मु० 53648रू०

उक्त वाउचर द्वारा वार्ड नं० 9 में ड्रेन कार्य के लिये प्रथम बिल के रूप में भुगतान किया गया जिसमें नीचे दिये गये अधिक भुगतान किये गये:-

(1) "cutting in earth work" कार्य के लिये निष्पादित कार्य की मात्रा 31.81 घ० मी० बनती थी जबकि गलत गणना के कारण भुगतान 31.83 घ०मी० के लिये करके मु० 61रू० का अधिक भुगतान किया गया।

(2) मद "1:6:12 सिमेंट कनक्रीट कार्य की निष्पादित मात्रा 18.89 घ० मी० थी जबकि गलत गणना के कारण भुगतान 19.20 घ० मी० के लिये किया गया जिसके कारण मु० 383 रू० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जावे।

(ग) ... संख्या 13 मार्च 3/05 मु० 1,92,160 रु०
मु० 16,886 रु० का अधिक भुगतान
उक्त वाउचर द्वारा नीचे दिये गये तीन चलत बिलों का भुगतान श्री भजन सिंह, ठेकेदार को किया गया :-

(1) ड्रेन निर्माण कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ी वार्ड नं. 12

(2) ड्रेन निर्माण कार्य आवासीय कॉलोनी प्रथम चरण

(3) —"— द्वितीय चरण

भुगतान वाउचर की पड़ताल करने पर नीचे दी गई आपत्तियाँ पाई गई जिनका निपटारा शीघ्र किया जावे।

(1) मु० 113 रु० का अधिक भुगतान
माप पुस्तिका संख्या 11 पृ० 13-14

मद "Brick masonry" की निष्पादित मात्रा 31-61 घ०मी० बनती थी जबकि भुगतान 31-69 घ० मी० के लिये किया गया जिसके परिणाम स्वरूप मु० 113 रु० का अधिक भुगतान किया गया।

(2) माप पुस्तिका संख्या 11 पृ० 15-16.

मद "Brick masonry" की निष्पादित मात्रा 26-70 घ० मी० बनती थी जबकि गलत गणना के कारण भुगतान 38.67 घ० मी० के लिये किया गया जिसके कारण मु० 16,773 रु० का अधिक भुगतान किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त दोनों मदों में मु० 16,886 रु० का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके जमा करवाई जावे।

(गी) आलसंख्या 3 मास 04 मु० 31627 रु०

मु० 31627 रु० का अनुचित भुगतान।

उक्त वाउचर द्वारा बसन्ती बाग से पंजाब नैशनल बैंक तथा सहोत्रा अस्पताल से स्टेट बैंक पटियाला आदि तक नालियों की सफाई के कार्य हेतु भुगतान किया गया जिसकी पड़ताल करने पर नीचे दी गई आपत्तियाँ पाई गई जिनके समाधान हेतु उचित कार्यवाही की जाये।

(1) उक्त कार्य के लिये तीन ठेकेदारों से कुटेशनें प्राप्त की गई जबकि नगर पालिका लेखा संहिता 1975 की धारा 170(4) के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार नियमों की अवहेलना का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुये नियमितिकरण करवाया जाये।

(2) नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई का कार्य तीन ठेकेदारों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। अब इस स्थिति में जबकि सफाई का कार्य नियमित रूप से ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है तो नालियों की सफाई अन्य ठेकेदारों से करवाने का कोई औचित्य नहीं बनता जिससे साबित होता है कि मु० 31627 रु० का यह अनुचित भुगतान किया गया जिसकी भरपाई उचित स्रोत से की जाये।

(3) मिट्टी की खोदाई तथा उठाने के कार्य की निष्पादित मात्रा 119-47 घन मीटर थी जबकि भुगतान 119-91 घन मी० के लिये किया गया जिसके कारण मु० 56 रु० का अधिक भुगतान किया गया।

(4) मु० 17669 रु० की कुल लागत पर बिक्री कर तथा आय कर कटौती मु० 389 रु० की जानी थी जबकि यह मु० 346 रु० काटे गये जिसके ठेकेदार को मु० 43 रु० कम कटौती करके मु० 43 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाये।

(ग) वा० संख्या 17 मास 7/03 मु० 2,71,217 रु०

उक्त वाउचर के अन्तर्गत नीचे दिये गये तीन बिलों का भुगतान किया गया जिसके अन्तर्गत मै० अशोका ट्रेडिंग कं० धुसाड़ा को बिजली प्रकाश कार्य हेतु भुगतान किया गया। पड़ताल करने पर नीचे दी गई अनियमितताएँ पाई गई:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि रु०	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या
1.	वार्ड नं. 2 चरण-एक में बस अड्डे से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक बिजली प्रकाश की व्यवस्था करना।	1,05,820	12 पृ० 66-68
2.	वार्ड नं. 2 चरण-दो में बस अड्डे से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक बिजली प्रकाश की व्यवस्था करना।	1,01,805	12 पृ० 62-66
3.	बस अड्डे से ट्रक यूनियन तक बिजली प्रकाश की व्यवस्था करना।	63,592	12 पृ० 69-72

(1) उक्त तीनों कार्यों को split up किया गया जबकि एक ही प्रकार की मदों को एक ही प्राक्कलन में लिया जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि औपचारिकताओं से बचने के लिये एक प्रकार के कार्य को तीन भागों में विभाजित करके अलग-2 तीन प्राक्कलन तैयार किये गये जोकि आपत्तिजनक है जिसका ठोस तथ्यों सहित औचित्य प्रस्तुत करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाया जाये।

(2) मु० 5832 रु० का अधिक भुगतान:

भुगतान वाउचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि नीचे दी गई मदों के लिये अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) पालमपुर द्वारा विश्लेषित दरों से

अधिक भुगतान किया गया जिसके परिणाम स्वरूप रु० 5832 रु० का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	मद नाम	मात्रा	भुगतान दर रू०	अनुमोदित दर रू०	अधिक भुगतान रू०
1.	वार्ड नं. 2 चरण-दो	मद संख्या 4	6	495	450	270
2.	—यथोपरि	मद संख्या 5	6	5600	5504	576
3.	—यथोपरि-	मद संख्या 6	6	750	732	108
4.	—यथोपरि-	मद संख्या 7	6	285	230	330
5.	वार्ड नं. 2 चरण-एक	मद संख्या 4	8	495	450	360
6	—यथोपरि-	मद संख्या 5	8	5600	5504	768
7.	—यथोपरि-	मद संख्या 6	8	750	732	144
8	—यथोपरि-	मद संख्या 7	8	285	230	440
9.	बस अड्डे से ट्रक यूनियन तक प्रथम-चरण	मद संख्या 4	4	495	450	180
10	—यथोपरि-	मद संख्या 5	4	6100	5504	2384
11.	-यथोपरि-	मद संख्या 6	4	800	732	272
					कुल योग:	5832

(3) विचलनता (Deviation) अनुमोदित न करना:

अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि अन्तिम बिलों में अनुमानित राशि/लागत से अधिक भुगतान ठेकेदार को किया गया लेकिन सक्षम अधिकारी से विचलनता (डेविएशन) का अनुमोदन नहीं करवाया गया। इस प्रकार नीचे दिये भुगतानों में आवश्यक अनुमोदन के अभाव में किये भुगतानों का औचित्य प्रस्तुत करते हुए आवश्यक कार्यवाही अब की जावे।

कार्य का नाम	अनुमानित राशि	लागत राशि	अन्तर
वार्ड नं. 2 चरण-दो	93622	1,18653	25031
वार्ड नं. 2 चरण-एक	82670	1,23,333	40663

(2). वा० संख्या 16 मास 3/05 मु० 87270 मु० 279 रु० का अधिक भुगतान.

उक्त वाउचर द्वारा वार्ड नं० 2 में बस अड्डे से सुलभ शौचालय तक नाले के निर्माण कार्य हेतु श्री विक्रमजीत सिंह ठेकेदार को भुगतान किया गया। पड़ताल करने से पाया गया कि ठेकेदार को मु० 279 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(1) सिमेंट कन्क्रीट 1:2:4 में रोड़ी बिछाने के कार्य की निष्पादित मात्रा 2-06 घ०मी० बनती थी जबकि भुगतान 2.20 घ० मी० के लिये मु० 1751-70 रु० प्रति घ० मी० की दर तथा इस पर 10% प्रीमियम का भुगतान करके मु० 245 + 25 रु० का अधिक भुगतान किया गया।

(2) प्रथम श्रेणी की ईंटों के कार्य जिसमें 1:3 के अनुपात में सिमेंट रेत उपयोग किया गया की दर मु० 1607-50 प्रति घ० मी० थी जबकि भुगतान मु० 1619-70 रु० की दर से करके प्रीमियम सहित मु० 9 रु० का अधिक भुगतान किया गया।

इस प्रकार उक्त दोनों मदों के लिये संविदाकार को मु० 279 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके जमा करवाई जावे।

(ल) वा० संख्या 25 मास 3/2005 रु०1,06,695रु०

उक्त वाउचर द्वारा वार्ड नं.1 में कलवर्ट निर्माण कार्य हेतु श्री मदन सिंह, ठेकेदार को अन्तिम बिल के रूप में रु० 1,05,695 रु० का भुगतान किया गया। अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि कार्य का प्राक्कलन रु० 90,129 रु० के लिये तैयार किया गया था लेकिन सक्षम प्राधिकारी से इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। अन्तिम बिल तक कार्य की कुल लागत रु० 1,24,353 रु० बनी जबकि प्राक्कलन केवल रु० 90,129 रु० के लिये ही तैयार किया गया था। इस प्रकार इस कार्य में रु० 34224 रु० की विचलनता (deviation) आई जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृती प्राप्त करके नियमित नहीं करवाया गया। अतः आवश्यक कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये तथा डेवियेशन के अनुमोदन के बिना किये गये भुगतान का भी औचित्य प्रस्तुत किया जाये।

मिट्टी की खुदाई कार्य के लिये रु० 85.45 प्रति घ० मी० देय थी जबकि भुगतान 92.65 रु० की दर से करके 33.44 घ० मी० के लिये 6% प्रीमियम सहित रु० 262 रु० का अधिक भुगतान किया गया। इसी प्रकार मद संख्या 8 जिसमें 1:2:4 के अनुपात में रोड़ी बिछाने का कार्य किया गया। इस मद के लिये देय दर रु० 1615.40 रु० थी जबकि भुगतान 1708.40 रु० की दर से 0.79 घनमीटर के लिये प्रीमियम सहित रु० 78 रु० का अधिक भुगतान किया गया। अतः कुल रु० 340 रु० की वसूली की जाये।

(न) वा० संख्या 25 मास 3/05 मु० 13926 रु०

मु० 483 रु० का अधिक भुगतान:

उक्त भुगतान वाउचर की पड़ताल से पाया गया कि मद संख्या 3 जिसमें 1:2:4 के अनुपात में सी०सी० बिछाने का कार्य निष्पादित किया गया, के लिये मु० 1708-40 रु० प्रति घ०मी० की दर से भुगतान किया गया जबकि देय दर मु० 1615-40 रु० थी। इस प्रकार 4-90 घ०मी० के लिये 6% प्रीमियम सहित कुल मु० 483 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाई जावे।

(थ) वा० संख्या 14 मास 3/05 मु० 62819 रु० (NSDP)

मु० 516 रु० का अधिक भुगतान:

उक्त वाउचर द्वारा वार्ड नं. 9 खिल्लांवाली में पानी टैंक निर्माण कार्य के लिये संविदाकार को भुगतान किया गया भुगतान वाउचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि मद संख्या 1 "excavation in earth work in foundation and trenches (P.I. work) की दर मु० 92-85 रु० प्रति घ० मी० से भुगतान किया गया जबकि देय दर मु० 85-45 रु० प्रति घ०मी० थी। इसी प्रकार मद संख्या 4 में 1:1½:3 के अनुपात में सी०सी० बिछाने के कार्य के लिये मु० 1957-80 रु० प्रति घ०मी० की दर से भुगतान किया गया जबकि देय दर मु० 1866-80 रु० थी। इस प्रकार दोनों मदों के लिये कुल मु० 516 रु० का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया जिसकी वसूली करके जमा करवाई जावे।

इसके अलावा यह स्पष्ट किया जावे कि पानी टैंक का निर्माण नगर पंचायत द्वारा क्यों किया गया जबकि पानी वितरण की व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जाती है।

(ग) आ० संख्या 15 मास 3/05 मु० 27164 रु० (NSDP)

वार्ड नं. 2 से वार्ड नं. 3 (जगतराम के घर तक) जी. आई. पाईप लाईन पानी वितरण हेतु बिछाई गई जिस पर मु० 31660 रु० का व्यय किया गया। कार्य का प्राक्कलन मु० 61506 रु० के लिये तैयार किया गया जिसमें 40, एम एम, 25 एम एम तथा 15 एम एम डाया की जी. आई पाईप लाईन बिछाने का प्राक्कलन में प्रावधान था लेकिन वास्तव में केवल 40 एम एम डाया की लाईन ही बिछाई गई जिससे यह साबित होता है कि प्राक्कलन बिना आवश्यकता के तैयार किया गया है।

वास्तव में नगर पंचायत क्षेत्र में नागरिकों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था सिंचाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है जिसके चलते नगर पंचायत द्वारा पानी की पाईप लाईन बिछाने का औचित्य। स्पष्टीकरण ठोस तथ्यों सहित प्रस्तुत किया जाये अन्यथा अनुचित रूप से किये गये भुगतान की जिम्मेवारी निर्धारित करके तदानुसार आगामी कार्यवाही की जाये।

(स) नगर पंचायत क्षेत्र में आवासीय बस्तियों का रखरखाव शुल्क

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के अवलोकन करने व नगर पंचायत क्षेत्र की आवासीय बस्तियों के रख-रखाव शुल्क की पड़ताल करने पर नीचे दी गई त्रुटियां पाई गई जिनके निपटारे हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाई जावे।

1. रु० 49,590 रु की कम वसूली :

डी. आर. पब्लिक स्कूल बड़ी का प्लॉट एरिया 5356-01 वर्ग मी० था जिसका वार्षिक रख-रखाव 5 रु प्रति वर्ग मी० की दर से रु० 26780 रु प्रति वर्ष बनता था। सम्बन्धित स्कूल ने नगर पंचायत से अपने पत्र दिनांक [illegible] में अनुरोध किया कि रख-रखाव शुल्क बिल्ट अप एरिया (Built up area) पर वसूल किया जावे न कि प्लॉट एरिया पर। उनका Built up area 2030 वर्ग मी० था। स्कूल मैनेजमेंट के उक्त अनुरोध पर रख-रखाव शुल्क "बिल्ट अप एरिया" पर वर्ष 2002-03 से वसूल किया गया जबकि अन्य सभी मामलों में यह वसूली प्लॉट एरिया के आधार पर की गई जिससे यह साबित होता है कि संस्था विशेष को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह वसूली "बिल्ट अप एरिया" पर की गई जो कि अनुचित है इस प्रकार वर्ष 2002-03 से 2004-05 अर्थात् तीन वर्षों में रु० 26780 प्रति वर्ष वसूली के स्थान पर रु० 10250 रु प्रति वर्ष वसूले तीन वर्षों में रु० 16530 रु प्रति वर्ष के हिसाब से कुल रु० 49590 रु की कम वसूली की गई जिसका स्पष्टीकरण / औचित्य

प्रस्तुत करते हुये रू० 495708 की वसूली उचित स्रोत से करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जावे तथा भविष्य में यह वसूली अन्य मामलों की भांति प्लॉट एरिया पर की जानी सुनिश्चित की जावे।

(2) आवास बोर्ड बस्ति का नगर पंचायत बद्दी में स्थानान्तरण :

आवास बोर्ड बस्ति का वर्ष 2002 में नगर पंचायत बद्दी में स्थानान्तरण किया गया। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के अवलोकन के अनुसार नीचे दिये गये मामलों में प्लॉट अथवा मकान का क्षेत्रफल (एरिया) नहीं दर्शाया गया जिसके अभाव में निश्चित दर से रख-रखाव की वसूली नगर पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है। निश्चित तौर पर अभी तक इन प्लॉट/मकानों का आवंटन भी किया जा चुका होगा। अतः सम्बन्धित रजिस्टर में प्रत्येक प्लॉट/मकान में उसका क्षेत्रफल दर्शाते हुये वसूली योग्य राशि, वसूल की जा चुकी राशि तथा बकाया वसूली का पूर्ण ब्यौरा दर्शाते हुये रजिस्टर को तैयार किया जाये ताकि निश्चित अवधि तक वसूली योग्य राशि का पता चल सके।

बस्ति का नाम	रजिस्टर क्रमांक	प्लॉट/मकान नं.
प्रथम चरण	221	कुल संख्या।
-"-	223 से 228	प्लॉट नं 13 से 18
-"-	230	प्लॉट नं. 19
द्वितीय चरण	227	445
-"-	247	455 व 456
-"-	249	458, 460
-"-	252	463, 464

द्वितीय चरण	255 ..	467
	258 ..	470
	262 ..	474
	266 ..	478
	271 ..	483
	273 ..	485
	274 ..	487
	278 ..	490 तथा 91
	280 ..	493, 95
	287 ..	501
	289 ..	503 व 509
	291 ..	510, 511
	294 ..	514, 520
	296 ..	522, 533
	298 ..	535-536
तृतीय चरण	1 ..	1
	2 ..	3
	3 ..	6
	4 ..	8
	25 ..	25
	35 ..	35
	40 ..	40
	44 ..	45, व 45
	48 ..	49
	57 ..	58
	59 ..	60
	61 ..	62
	78 ..	79
	79 ..	80
	88 ..	89
	93 ..	94
	95 ..	96
	97 ..	98
	105 ..	107
	113 ..	115
	137 ..	139
	141 ..	143
	143 ..	145
	145 —	147
	148 ..	150 से 153
	150 ..	155 से 157
	159 ..	170 से 171
	162 ..	175-176

तृतीयचरण

—105—		—107—
165	..	178
168	..	181
171	..	185-188
179	..	196
181	..	199
183	..	201
188	..	204 से 208
194	..	216
196	..	218 से 220
198	..	222
200	..	224 से 229
203	..	232 से 240
205	..	242 से 243
208	..	246
211	..	249 से 253
216	..	258 व 259
218	..	261 व 262
219	..	263
220	..	264 व 265
224	..	258 से 258 की
225	..	266 व 267
228	..	270 व 276
231	..	279
238	..	286
242	..	290
245	..	293
253	..	301
255	..	303 से 304
260	..	309
270	..	319
271	..	320 से 322
273	..	324
275	..	326 से 330
279	..	334 व 335
282	..	338
284	..	340
287	..	343
288	..	344 से 346
290	..	348 से 367
291	..	368 से 374 व [illegible]
296	..	378
297	..	379 व 380
299	..	382
304	..	387
311	..	403
313	..	405 से 407
315	..	409 व 410
318	..	412 व 414
324	..	420
337	..	428 व 434
339	..	438 व 439
345	..	445
352	..	452
354 व 55	..	454 व 455
358	..	458
361	..	461-465
365	..	468-471
367	..	473-74
370	..	477-478
372	..	480-489
374	..	491-92

(3) नीचे दिये गये मामलों में रखरखाव सुधार की वसूली हेतु माँग (demand) तैयार करके सम्बन्धित मालिकों को प्रेषित की गई लेकिन मांग नोटिस रजि में प्लॉट हेरिया मकान हेरिया नहीं दर्शाया गया जिसके कारण वसूली-योग्य राशि तथा वसूल की गई राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अत: आवश्यक कार्यवाही करके तदानुसार वसूली का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाये तथा इस चूक को दोबारा न दोहराया जाये।

क्र.सं.	रजिस्टर क्रमांक व चरण	टिप्पणी
1.	103-चरण-एक	मुख्यौका स्केनर्स प्रा०लि० मकान नं. 103.
2.	17 चरण-दो	श्री दिनेश कुमार चौहान
3.	25-चरण-दो	श्री आशुतोष शर्मा प्लॉट नं. 233
4	112-चरण-दो	श्री चमन लाल म.सं. 320
5.	148-चरण-दो	श्रीमति सत्या देवी, प्लाट नं. 356
6.	153-चरण-दो	श्री संजीव दुग्गल प्लॉट नं. 361
7.	174 व 175-चरण-दो	बोर्ड का कोटा, मकान 382 व 383
8.	181 चरण-दो	श्री प्रीतम लाल कुरिया प्लॉट नं. 389
9.	183 चरण-दो	श्री जसवाल सिंह प्लॉट नं. 391.
10	195-चरण-दो	श्रीमति सरिता कुमारी प्लॉट नं. 403

(4) व्यक्तिगत खातों में प्रविष्टियाँ न करना :

नीचे दिये गये मामलों में नगर पंचायत द्वारा जी-8 के अन्तर्गत रख-रखाव शुल्क की वसूली की गई लेकिन सम्बन्धित व्यक्तियों के खातों में वसूली की प्रविष्टियाँ नहीं की गई। अतः आवश्यक कार्यवाही अब की जाये तथा भविष्य में नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाये।

क्र.सं.	जी-8 रसीद संख्या	व तिथि	राशि रु०	शुल्कदाता का नाम
1.	1900	20-6-03	1128	श्री एच.एस. रौतेला
2.	2009	26-9-03	900	अधिशासी अभियन्ता आवास बोर्ड
3.	2159	23-3-03	2720	अनिल कुमार
4.	2210	27-4-03	1800	लखानी राम
5.	2406	13-4-04	1603	राजिन्द्र कुमार
6.	2430	26-4-04	2256	रामानन्द शर्मा
7.	2431	27-4-04	2418	एस.सी. मेहता
8.	2451	7-8-04	1218	मीनू कोहली
9.	2476	2-9-04	2376	प्रमिला व सरिता
10.	2497	17-9-04	1682	बलवंत सिंह
11.	2584	7-12-04	801	गुरदेव सिंह
12.	2586	7-12-04	830	श्रीमती उर्मिला
13.	2630	4-1-05	1700	शंकर सिंह सैनी
14.	2639	11-1-05	580	प्रमोद कुमार
15.	2693	10-3-05	10330	एन.आर. आई अस्पताल।

(ह) मु० 4800 रु० का अधिक भुगतान:

वा० संख्या 21 व 22 मास 7/2003 द्वारा सवधि 5/01 से 12/03 तक संशोधित वेतनमानों के बकाया का भुगतान श्री रूप लाल भारद्वाज, पूर्व सचिव नगर पंचायत बड़ी को किया गया जिसमें सवधि 1-1-2002 से 31-12-2002 ड्रॉन (drawn) राशि का योग गलत गणना से मु० 8552 रु० दर्शाया गया जबकि यह मु० 8952 रु० बना था। इस प्रकार 12 मासों की ड्रॉन (drawn) राशि मु० 1,07,424 रु० बनती थी जबकि इसे मु० 1,02,624 रु० दर्शा कर कुल मु० 4800 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर पंचायत कोष मे जमा करवाई जाये।

(क्ष) वा० संख्या 10 मास 3/05 मु० 1600 रु०:

मु० 1600 रु० का भुगतान श्री प्रदीप को टैक्सी किराये के रूप मे किया गया जिसके अनुसार दिनांक 11-2-2005 को सचिव नगर पंचायत बड़ी से शिमला तथा वापसी यात्रा की गई। यात्रा का उद्देश्य शिमला में निदेशक शहरी विकास से मीटिंग दर्शाया गया। सचिव निजि टैक्सी से यात्रा करने के लिये पात्र नहीं थे। अतः इस व्यय को नियमित करवाने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृती प्राप्त की जाये।

8. स्थापना : -107- -147

(क) की मैन की अनियमित नियुक्ति : मु० 9000 रु० का अधिक भुगतान

नगर पंचायत नई ने सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना दिनांक 1-8-2003 से 'की मैन' को अस्थाई तौर पर नियुक्ति की जिसके लिये रु०1500 प्रति मास की दर से भुगतान किया जाना तय किया। तत्पश्चात् निदेशालय शहरी विकास को स्वीकृति के लिये मामला भेजा गया जिसे निदेशालय द्वारा पत्र संख्या यु.डी-एच (ए)(1)-1/2000-15455 दिनांक 25-11-2003 द्वारा अस्वीकार करते हुये नगर पंचायत को वापिस भेज दिया। अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 1-8-2003 से 31-3-2005 तक की मैन श्री अर्जुन सिंह को मु० 1950 रु० प्रति मास की दर से 20 महीनों के लिये कुल मु० 39,000 रु० का भुगतान किया जबकि नगर पंचायत द्वारा मु० 1500 रु० प्रति मास देना तय किया था। इस प्रकार मु० 450 रु० प्रति मास की दर से 20 महीनों के लिये कुल मु० 9000 रु० का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उचित स्रोत से की जाये तथा अनियमित रूप से किये गये कुल व्यय की सक्षम अधिकारी से आवश्यक कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाये अन्यथा वसूली उचित स्रोत से करके नगर पंचायत में जमा करवाई जाये।

(ख) मु0 725 रु0 का मकान भत्ते के रूप में अधिक भुगतान

श्री हरि कृष्ण डोगरा, कनिष्ठ सहायक को अवधि 12/2001 से 4/2004 तक मु0 200 रु0 प्रति मास की दर से मकान किराया भत्ता देय था जबकि उक्त कर्मचारी को मु0 225 रु0 प्रति मास की दर से भुगतान किया गया जिसके कारण उक्त अवधि के लिये कुल 29 महीनों के लिये 25 रु0 प्रति मास की दर से कुल 725 रु0 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली करके नगर पंचायत कोष में जमा करवाई जाये।

(ग) वा0 संख्या 17 मास 7/03 मु0 38448 रु0 :

मु0 38448 रु0 का नगर पंचायत कोष से अनुचित भुगतान

चैक संख्या 198594 दिनांक 11-7-03 द्वारा मु0 38448 रु0 की राशि पेंशन निधि में श्री रूप लाल भारद्वाज, सचिव, नगर पंचायत के एम्प्लॉयर शेयर के रूप में जमा करवाई जो वर्ष 1985 से देय थी। नगर पंचायत बड़ी की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। इस प्रकार वर्ष 1985 से 1998 तक एम्प्लॉयर शेयर का भुगतान संबंधित अधिशासी निधि में उन नगर पंचायतों द्वारा किया जाना था जहाँ श्री रूप लाल भारद्वाज कार्यरत थे न कि नगर पंचायत बड़ी द्वारा भुगतान किया जाना था। इस प्रकार अनुचित रूप से किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जाये तथा अनुचित भुगतान का स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया जाये। इसी प्रकार वा0 संख्या 30 मास 7/03 द्वारा मु0 38448 रु0 पेंशन खाते में स्थानान्तरित किये गये जिसके लिये उपरोक्त कार्यवाही अमल में लाई जाये।

(ग) वा० संख्या 20 मास 7/2003 रु० 1,06,400 रु०

रु० 1,06,400 रु० का भुगतान श्री रूप लाल भारद्वाज, पूर्व सचिव नगर पंचायत बड्डी को सेवा निवृत्ति पर लीव इनकैशमेंट के रूप में किया गया। भुगतान के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश संप्रेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये तथा कर्मचारी की सेवा पुस्तिका भी संप्रेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिनके अभाव में किये गये भुगतान के सही होने की पुष्टि संप्रेक्षण में नहीं की जा सकी। इस प्रकार वांछित उपरोक्त अभिलेख आगामी संप्रेक्षण में प्रमाणक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाये।

उपरोक्त के अलावा वाऊचर संख्या 21 व 22 मास 7/03 द्वारा वेतनमान संशोधन बकाया तथा अंशदायी भविष्य निधि बकाया राशि क्रमशः रु० 15,946 रु० तथा रु० 840 रु० का भुगतान किया गया लेकिन वेतन निर्धारण से सम्बन्धित आदेश आदि संप्रेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में किये गये भुगतानों के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांछित अभिलेख आगामी संप्रेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(5) पैंशन एवं ग्रेच्युटि निधि में कटौति का जमा करना

निदेशालय शहरी विकास द्वारा जारी आदेश संख्या यू. डी. एच (बी) (12) -1/94 - 1-2338 दिनांक के अनुसार नगर पंचायत बड़ी के लिये नीचे दिये गये पद सृजित किये गये।

क्र.सं०	पद नाम	संख्या
1.	सचिव	1
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	1
3.	कर्लक	3
4.	सेनटरी निरीक्षक	1
5	कम्युनिटि आर्गेनाईजर	1
6	सेवादार	2
7	~~चौकीदार~~	1
8	सफाई कर्मचारी	8

वर्तमान अंकेक्षण मे पाया गया कि उपरोक्त लिपिक के तीन सृजित पदों के विरुद्ध केवल दो पदों के लिये पेंशन एवं ग्रेच्युटि निधि मे वेतन बिल से कटौती करके राशि जमा करवाई गई जबकि यह राशि तीन पदों हेतु जमा करवाई जानी थी। अतः पूर्ण अवधि के लिये विभागीय तौर पर गणना करके यह राशि जमा करवाई जाये तथा की गई कार्यवाही का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाये।

7. स्टॉक अकाउंट :

(क) कोलतार लेखा : कोलतार लेखे की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर पंचायत बद्दी द्वारा नगर परिषद सोलन तथा नगर पंचायत नालागढ़ को कुल 100 ड्रम कोलतार दिये जिनका पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं०	जिसे कोलतार जारी किया गया	ड्रमों की संख्या	दर	राशि	टिप्पणी
1	नगर परिषद सोलन	30	2245.35	67360-50	दिनांक अंकित नहीं की गई पृ० 75
2	-यथोपरि-	60	2245.35	1,34721	दिनांक 22-6-02 पृ० 73.
3.	नगर पंचायत नालागढ़	10	2408.61	24086-10	दिनांक अंकित नहीं की गई। पृ० 71.
				2,26,167-60	

इस प्रकार रु० 2,26,167-60 पै० का कोलतार अन्य परिषदों/पंचायतों को सप्लाई किया लेकिन इनसे प्राप्त राशि का ब्यौरा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सम्बन्धित संस्थाओं से वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में करवाया जाये।

(ख) अन सर्विसेबल (unserviceable) वस्तुओं का रजिस्टर तैयार न करना : नगर पंचायत द्वारा अनसर्विसेबल (un-serviceable) वस्तुओं का रजिस्टर तैयार नहीं किया जिसमें समस्त वस्तुओं जो कार्यालय में काम न की जैसे कि लोहे के कूड़ेदान, आलिमारियाँ, कुर्सियाँ

मेज, बैंच इत्यादि दर्ज की जानी अपेक्षित है तथा सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये नियमानुसार इनका निपटारा किया जाना है। अतः स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दर्ज मात्रा के दृष्टिगत सभी वस्तुओं की संख्या पूर्ण करते हुये सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करके निपटारे तदानुसार आगामी कार्यवाही हेतु अमल में लाई जाये।

(क) उपभोज्य - अनुपभोज्य रजिस्टर तैयार करना

नगर पंचायत द्वारा भण्डार वस्तुओं के उपभोज्य एवं अनुपभोज्य रजिस्टर अलग-2 तैयार नहीं किये गये जो कि गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में अनेकों स्टॉक रजिस्टर लगाये गये जबकि नया रजिस्टर शुरु करने से पूर्व पुराने रजिस्टर से वस्तु विशेष की मात्राओं को नये रजिस्टर में उठाया जाना अपेक्षित था। अतः प्रत्येक वस्तु का व्यक्तिगत खाता तैयार करते हुये स्टॉक रजिस्टरों को पूर्ण किया जाये तथा कृत कार्यवाही का सत्यापन आगामी अंकेक्षण में कराया जाये।

(ख) प्रत्यक्ष सत्यापन :

नगर पंचायत के स्टॉक रजिस्टरों के अवलोकन से पाया गया कि भण्डार वस्तुओं का वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया जबकि वित्तीय नियमावली ।57। के अनुसार वर्णित में यह सत्यापन किया जाना अनिवार्य है अतः आवश्यक कार्यवाही अब की जाये।

(2) स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :

नगर पंचायत द्वारा विभिन्न वस्तुओं/ सामग्री के खरीद के रूप में नीचे दिये गये भुगतान किये गये लेकिन खरीद की गई वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियाँ नहीं पाई गई। इस प्रकार स्टॉक प्रविष्टियाँ उन वस्तुओं के उपयोग के साथ-2 आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे अन्यथा वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

वाउचर संख्या व तिथि	वस्तु का नाम	मात्रा	राशि
1 मास 3/2000	समाचार पत्र	29	63
	साबुन, फिनायल आदि	-	55
——"——			
8 ——"——	झाडू	11	220
3 मास 7/2000	टेबल 5'x3'	1	4329
9 मास 5/2001 (बिल नं. 3)	स्टॉक रजिस्टर	1	65
——"——	लेखा बुक	2	400
——"—— (बिल नं. 2)	स्टॉक रजिस्टर	1	150
——"——	लेखा बुक	1	250
——"——	सफेदी ब्रुश	2	30
——"—— (बिल नं. 118)	लेखन सामग्री	1 सैट	30
23 मास 5/01	नेम प्लेट्स	5	475
4 मास 3/02	झाडू	15	225
5 मास 3/02	झाडू	15	225
21 मास 3/02	झाडू	50	1000
14 व 15 मास 7/02	साईन बोर्ड	-	2408
——"——	चूना	2 क्विंटल	600
——"——	फिनायल	13 बोतल	390
32 मास 3/05	लेखन सामग्री	—	1445

10. लघु आपत्ति विवरणिका: इसे पृथक से जारी नहीं किया गया क्योंकि इनका निपटारा मौके पर कर दिया गया।

11. निष्कर्ष: लेखों में सुधार की अति आवश्यकता है। निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों/अनुदेशों की कड़ाई से पालना करने की भी आवश्यकता है।

[illegible]
[illegible]

उप नियन्त्रक
(लेखा परीक्षा)
ग्रामीण विकास विभाग
हि0प्र0 शिमला-2

[illegible]

सहायक नियन्त्रक
(लेखा)
ग्रामीण विकास विभाग
हि0प्र0 शिमला-2.

पत्र संख्या: 1-62/06 ग्र0 वि0 आडिट-12919 दिनांक 15.1.2006 द्वारा जारी किया गया।

Detail of Audit fees :-

Referred to in para 2 of this Audit Note.

Period	Days	Detail of Auditors	Rate per day	Amount
02-03-2006	01	One Assistant Controller (Audit)	50/-	50/-
04-03-06	01	— Do —	50/-	50/-
16-03-06 to 20-03-06	05	— Do —	50/-	250/-
13-03-06 to 14-03-06	02	One Asstt. Controller (Audit), One Junior Auditor	70/-	140/-
16-03-06 to 18-03-06	03	— Do —	70/-	210/-
20-03-06 to 25-03-06	06	— Do —	70/-	420/-
27-03-06 to 28-03-06	02	— Do —	70/-	140/-
29-03-06 to 31-03-06	03	One Asstt. Controller (Audit), One Junior Auditor, One Section Officer (Audit)	120/-	360/-
01-04-2006	01	— Do —	120/-	120/-
04-04-06 to 05-04-06	02	— Do —	120/-	240/-
07-04-06	01	— Do —	120/-	120/-
10-04-06	01	— Do —	120/-	120/-
12-04-06 to 13-04-06	02	One Asstt. Controller (Audit)	50/-	100/-
17-04-06 to 22-04-06	05	6 Days Asstt. Controller (Audit), 6 Days Junior Auditor, 5 Days Section Officer (Audit) — 6×50 = 300, 6×20 = 120, 5×50 = 250	—	670/-
24-04-06 to 29-04-06	06	One Asstt. Controller (Audit), One Section Officer (Audit), One Junior Auditor	120/-	720/-
02-05-2006 to 06-05-06	05	— Do —	120/-	600/-
08-05-06 to 12-05-06	05	5 Days Asstt. Controller (A), 5 Days Junior Auditor, 3 Days Section Officer (A)	250/-, 100/-, 150/-	500/-
15-05-06 to 20-05-06	06	One Asstt. Controller (Audit), One Section Officer (Audit), One Junior Auditor	120/-	720/-
22-05-06 to 23-05-06	02	— Do —	120/-	240/-
24-05-06 to 27-05-06	04	One Asstt. Controller (Audit), One Junior Auditor	70/-	280/-
29-05-06 to 01-06-06	04	— Do —	70/-	280/-
			Total :-	6330/-

Statement saving Investment as on 31-03-2005
Refer to in Para No. 3 (ङ.)

Sr. No.	Name of Bank	Amount Invested	Date of Investment
1.	UCO Bank Baddi	10,00,000.00	29.12.2001
2.	PNB Bank ~~[illegible]~~ Nalagarh	20,00,000.00	18.07.2003

Statement regarding loan position as on 31-3-2005
Refer to in Para No. 3 (च)

Certified that No re-payment of loan is outstanding as on 31-03-2005 in respect of Nagar Panchayat,Baddi.

Statement regarding Temporary position of advance as on 31-3-2005
Refer to in Para No. 3 (छ)

Certified that no temporary advance is outstanding for adjustment as on 31-3-2005

Secretary
Nagar Panchayat
Baddi (Solan) H.P.

परिशिष्ट "ज" [illegible] 6/99 से 3/2005 [illegible]

STATEMENT OF GRANT RECEIVED BY NAGAR PANCHAYAT,BADDI FROM THE DIRECTOR,URBAN DEVELOPMENT, HIMACHAL PRADESH UNDER OCTROI / SFC GRANT.

Sr, No.	Year	No. & Date of Sanction Letter	Sanction Authority	Purpose of Grant	Amount of Grant	Amount Utilized	Amount Balance	Remarks
1	1999-2000	UD-HD(10)-6/99 dt.4.11.1999	Director UD	Octroi	100000.00	100000.00	Nil	UCs Sent Vide Letter No.______ Dated______
2		UD-HD(10)-6/99-1769 dt.29.2.2000	Director UD	Octroi	100000.00	100000.00	Nil	U.C. Submitted
3	2000-2001		Director UD	Octroi	228950.00	228950.00	Nil	—do—
4		UD-HD(10)-3/2000- dt. 10-7-2000	Director UD	Octroi	558360.00	558360.00	Nil	—do—
5		UD-HD(10)-3/2000-16028 dt.6.10.2000	Director UD	Octroi	697950.00	697950.00	Nil	—do—
6		UD-HD(10)-3/2000- dt.22.12.2000	Director UD	Octroi	837540.00	837540.00	Nil	—do—
7		UD-HD(10)-3075 dt. 28.02.2001	Director UD	Octroi	697950.00	697950.00	Nil	—do—
8	2001-2002	UD-HD(10)-2/2001-6345 dt.8.6.2001	Director UD	Octroi	558360.00	558360.00	Nil	—do—
9		UD-HD(10)-2/2001 dt.27.09.2001	Director UD	Octroi	697950.00	697950.00	Nil	—do—
10		UD-HD(10)-3/2001 dt.6.12.2001	Director UD	Octroi	837540.00	837540.00	Nil	—do—
11	2002-2003	UD-HD(10)-2/2001 dt.28.3.2002	Director UD	Octroi	697950.00	697950.00	Nil	—do—
12		UD-HD(10)-2/2002 dt.28.6.2002	Director UD	Octroi	1326119.00	1326119.00	Nil	—do—
13		UD-HD(10)-2/2002 dt.9.9.2002	Director UD	Octroi	1578184.00	1578184.00	Nil	—do—
14		UD-HD(10)-2/2002 dt.23.12.2002	Director UD	Octroi	1807672.00	1807672.00	Nil	—do—
15		UD-HD(10)-2/2002 dt.17.3.2003	Director UD	Octroi	1577095.00	1577095.00	Nil	—do—
16	2003-2004	UD-HD(10)-2/2002 dt.2.6.2003	Director UD	Octroi	3881431.00	3881431.00	Nil	—do—
17		UD-HD(10)-1/2003-592 dt.17.03.2004	Director UD	Octroi	4257422.00	Nil	4257422.00	[illegible]
18		UD-HD(10)-1/2003-3388 dt.7.8.2004	Director UD	Octroi	2042869.00	Nil	2042869.00	[illegible]
19	2004-2005	UD-HD(10)-1/2003 dt.6.2.2004	Director UD	Octroi	7113515.00	Nil	7113515.00	[illegible]
20		UD-HD(10)-2/2004-2791 dt.9.3.2005	Director UD	Octroi	2371172.00	Nil	2371172.00	[illegible]

सचिव

परिशिष्ट "ख" कोने हेतु प्रतिवेदन अवधि 6/99 से 3/2005 के पैरा संख्या 4 में वर्णित।

STATEMENT OF GRANT RECEIVED BY NAGAR PANCHAYAT, BADDI FROM THE DIRECTOR, URBAN DEVELOPMENT, HIMACHAL PRADESH UNDER 10TH & 11TH Finance Commission Grant.

Sr. No.	Year	No. & Date of Sanction Letter	Sanction Authority	Purpose of Grant	Amount of Grant	Amount Utilized	Amount Balance	Remarks
1	2000-2001	UD-HB-(10)-7/99 dt. 10-7-2000	Director UD	Water Supply and Sanitation	16240.00	16240.00	Nil	USc Sent Vide Letter No. 2616 Dt. 26 [illegible]
2		-do- 7/99 dt. 12.12.2000	Director UD, H.P Shimla-2	-do-	20300.00	20300.00	Nil	— do —
3		-do- dt.4.01.2001	-do-	-do-	24361.00	24361.00	Nil	— do —
4		-do- 4/2000 dt. 12.03.2001	-do-	-do-	20300.00	20300.00	Nil	UC submitted in Zonal Meeting.
5	2001-2002	UD-HB(10)-3/2001 dt. 28-09-2001	-do-	-do-	54782.00	54782.00	Nil	— do —
6		-do-dt.05-11-2001	-do-	-do-	36463.00	36463.00	Nil	UC sent vide letter no. 2616 dt 26-[illegible]
7		-dO- dated: January,2002	-do-	-do-	39039.00	39039.00	Nil	UC submitted in Zonal meeting.
8	2002-2003	-dO- dt. 28-03-2002	-do-	-do-	29077.00	29077.00	Nil	— do —
9		Ud-HB(10-3/2002 DT. 27.06.2002	-do-	-do-	61506.00	61506.00	Nil	— do —
10		-DO- DT. 21-09-2002	-do-	-do-	78001.00	78001.00	Nil	— do —
11		-DO- 23-12-2002	-do-	-do-	93601.00	93601.00	Nil	UC sent vide letter no. 16[illegible] dt 16-[illegible]
12		-DO- 17-03-2003	-do-	-do-	78001.00	78001.00	Nil	— do —
13	2003-2004	Ud-HB(10)-3/2003-1367 dt. 17.10.2003	-do-	-do-	139985.00	139985.00	Nil	UC submitted in Zonal meeting.
14		Ud-HB(10)-3/2003-748 dt.17.01.2004	-do-	-do-	134756.00	134756.00	Nil	— do —
15	2004-2005	Ud-HB(10)-3/2004-6143-90 dt 11.06.2004	-do-	-do-	55166.00	55166.00	Nil	— do —
16		-do- 11.06.2004	-do-	-do-	69062.00	69062.00	Nil	— do —
17		-do- 06.09.2004	-do-	-do-	87082.00	87082.00	Nil	— do —
18		-do- 19.11.2004	-do-	-do-	103331.00	103331.00	Nil	— do —
19		[illegible]	-do-	-do-	[illegible]		[illegible]	Work not started yet.

- 121 -

परिशिष्ट [illegible] [illegible] प्रश्न [illegible] [illegible] ३/२००५ के पैरा [illegible] 4 में [illegible]

STATEMENT OF GRANT RECEIVED BY NAGAR PANCHAYAT, BADDI FROM THE DIRECTOR, URBAN DEVELOPMENT, HIMACHAL PRADESH UNDER E.I.U.S/ N.S.D.P GRANT

Sr. No.	Year	No. & Date of Sanction Letter	Sanction Authority	Purpose of Grant	Amount of Grant	Amount Utilized	Amount Balance	Remarks
1	2000-2001	UD-H(EIUS/NSDP)-11387 dt.18.7.2000	Director UD, H.P Shimla-2	C/o Public Toilet in Ward No.2	192366.00	192366.00	Nil	UC Sent Vide Letter No.N.P/Baddi/UCs/2004-147 dated 06-07-2004
2		UD-H(EIUS/NSDP)-13695-18345 dt.22.11.2000	-do-	C/o Rehan asera	250000.00	250000.00	Nil	-do-
3		UD-H(EIUS/NSDP)-382 dt. 6.1.2001	-do-	C/o Rehan asera	293878.00	293878.00	Nil	-do-
4		UD-H(EIUS/NSDP)-3274-78 dt.5.3.2001	-do-	C/o Rehan asera	231085.00	231085.00	Nil	-do-
5	2001-2002	UD-H(EIUS/NSDP) Vol-II-10094-99 dt.27.7.2001	-do-	C/o Rehan asera	100000.00	100000.00	Nil	-do-
6		UD-H(EIUS/NSDP)-Vol-II-12791 dt.[illegible]-2001	-do-	C/o Rehan asera	400000.00	400000.00	Nil	-do-
7	2002-2003	UD-(EIUS/NSDP)-H-(F)-1/2001-IV-13491-94 dt.8.11.2002	-do-	C/o Public Toilet in Harijan Basti	100000.00	100000.00	Nil	-do-
8		UD-(EIUS/NSDP)-H(F)-1/2000 Vol-IV dt.3.1.2003	-do-	C/o Public Toilet in Harijan Basti Ward No.1	100000.00	100000.00	Nil	-do-
9	2003-2004	UD-(EIUS/NSDP)-H(F)-1/2001-IV-13982 dt. 22.10.2003	-do-	Providing water Supply Line 50mm dia Pipe W.No.9	135000.00	135000.00	Nil	-do-
10		UD-(EIUS/NSDP)-H(F)-1/2001-IV-633 dt. 17.1.2004	-do-	C/o Water Tank in Ward No.9	90000.00	90000.00	Nil	-do-
11		UD-H(EIUS/NSDP)-H(F)-1/2001—dt.24.3.2004	-do-	P/L Pipe Line in W No.1	25000.00	25000.00	Nil	-do-
12		UD-H(EIUS/NSDP)-H(F)-1/2001	-do-		50000.00	50000.00	Nil	-do-
13		UD-(EIUS/NSDP)-H(F)-1/2001-IV-4295 dt.28.4.2004	-do-	P/L Pipe Line in W No.1	40000.00	40000.00	Nil	-do-
14	2004-2005		-do-	— — —	180000.00	—	[illegible]	[illegible]
15			-do-	— — —	120000.00	—	[illegible]	— do —
16			-do-	— — —	100000.00	—	[illegible]	— do —

[illegible]

STATEMENT OF GRANT RECEIVED BY NAGAR PANCHAYAT,BADDI FROM THE DIRECTOR,URBAN DEVELOPMENT, HIMACHAL PRADESH UNDER S.J.S.R.Y.GRANT]

Sr. No.	Year	No. & Date of Sanction Letter	Sanction Authority	Purpose of Grant	Amount of Grant	Amount Utilized	Amount Balance	Remarks
1	2000-2001	UD-H(F)(1) 10/97-11597-11601 dt.28.7.2000	Director UD	UWEP, USEP, Traning, Infrastructure A&OE	73500.00 22377.00 5200.00 10000.00 8886.00 ----------- 119963.00	73500.00 22377.00 5200.00 10000.00 8886.00 ----------- 119963.00	Nil	UC Sent Vide Letter No.N.P Baddi/UCs/200 [illegible] Dated : [illegible]
2	2001-2002	UD-H(F)(1) 10/97-dt.21.08.2001	Director UD	UWEP, Community Structure,A&OE	32384.00 14858.00 4108.00 ----------- 51350.00	32384.00 14858.00 4108.00 ----------- 51350.00	Nil	-do-
3	2002-2003	UD-H(F)(1) 10/98-1-10319 dt. 16-7.2002	Director UD	Community Structure	96000.00	96000.00	Nil	-do-
4		UD-H(F)(1) 10/97-II-15326 dt.21.12.2002	Director UD	USEP TRANING	20000.00	20000.00	Nil	-do-
5	2003-2004	UD-H(F)(1) 10/97-II-6121 dt.12.5.2003	Director UD	USEP TRANING	50000.00	50000.00	Nil	-do-
6		UD-H(F)(1) 10/97-II-1958 dt.8.3.2004	Director UD	USEP A&OE	25000.00 2174.00 ----------- 27174.00	25000.00 2174.00 ----------- 27174.00	Nil	-do-
7	2004-2005	UD-H(F)(1) 10/97-III-5003 dt.17.1.2004	Director UD	USEP A&OE	50000.00 4349.00 ----------- 54348.00	50000.00 4348.00 ----------- 54348.00	Nil	-do-

परिशिष्ट 'ख' अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/99 से 3/2005 के पैरा संख्या 4 में वर्णित।

STATEMENT OF GRANT RECEIVED BY NAGAR PANCHAYAT,BADDI FROM THE DIRECTOR,URBAN DEVELOPMENT, HIMACHAL PRADESH .FOR MISC. WORKS

Sr. No.	Year	No. & Date of Sanction Letter	Sanction Authority	Purpose of Grant	Amount of Grant	Amount Utilized	Amount Balance	Remarks
1	2000-2001		Director UD H.P Shimla-2	C/o Community Latrine	98000.00	98000.00	Nil	UC Sent Vide Letter No. [illegible] Dated:- [illegible]
2	2001-2002	ULB-H(F)(1)-10/97-I-LOOSE-10626 DT.25-7-2002	Director UD H.P Shimla-2	Plantation in N.P Baddi Area	150000.00	150000.00	Nil	-do-
3	2002-2003	ULB-H(F)(1)-1/99-904 DT.28-01-2003	Director UD H.P Shimla-2	C/o Community Latrine	100000.00	100000.00	Nil	-do-
4	2003-2004	ULB-H(E)(10)-10/90-2113 DT. 23-04-2003	Director UD H.P Shimla-2	IDSMT PROJECT	2400000.00	Nil	2400000.00	Work in Progress
5	2003-2004	ULB-H(E)(10)-10/90-2509 DT. 23-03-2004	Director UD H.P Shimla-2	IDSMT PROJECT	1600000.00	Nil	1600000.00	-do-

Assistant Controller (Audit) Urban Development

सचिव नगर पंचायत बद्दी

परिशिष्ट "ज"

संलग्न " " अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/99 से 3/2005 के पैरा संख्या
में वर्णित ।

STATEMENT OF OUTSTANDING RENT AS ON 31ST MARCH,2005

YEAR	OPENING BALANCE	DEMAND DURING THE YEAR	TOTAL	COLLECTION DURING THE YEAR	CLOSING BALANCE
2002-03	-	11925-00	11925-00	-	11925-00
2003-04	11925-00	15900-00	27825-00	7950-00	19875-00
2004-05	19875-00	15900-00	35775-00	5000-00	30775-00

1/6/06

Secretary
Nagar Panchayat
Baddi (Solan) H.P.